

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर जटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : eeo@eeo.cgoa.gov.in

विषय— राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 12/10/2023 को संघन 487वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 487वीं बैठक दिनांक 12/10/2023 को डॉ. बी.पी. मोहनरे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संघन हुई। बैठक में समिति के विनियमित सदस्यों ने भाग लिया—

1. श्री एन.के. चन्दाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 2. श्री किरण सिंह धुन, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 3. श्री मन्वेज कुमार चौगुड, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
 4. श्री डी. सद्दुल बेकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया—

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1: 488वीं, 489वीं, 490वीं, 491वीं एवं 492वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/09/2023, 25/09/2023, 28/09/2023 एवं 27/09/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 488वीं, 489वीं, 490वीं, 491वीं एवं 492वीं बैठक क्रमशः दिनांक 22/09/2023, 25/09/2023, 28/09/2023 एवं 27/09/2023 को संघन हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष सीधे प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विधिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2: चीन/बुद्ध खनिजों एवं औद्योगिक परिवर्तनकारी संकेती प्रकरणां के प्रस्तुतीकरण उपरंत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्देश किया जाना।

1. मेसर्स ए.पी.एल. अचोले मिनिंग प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, धाम-दिगरी एवं कोसड़ा, लहरील-सिमला, जिला-बलीदाबाजार (सकियालय का नस्ती क्रमांक 2811)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/आईएमडी/438749/2023, दिनांक 01/08/2023 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकालय के लक्षण धाम-दिगरी एवं कोसड़ा, लहरील-सिमला, जिला-बलीदाबाजार, कुल क्षेत्रफल-68.7





हेक्टयर में रेगुलरिजेशन ऑफ थोल्ड रीजिंग प्रोसेस (Thickness Reduction Process) सन्ध्या-28,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनिर्माण व्यय 54 करोड़ रुपये।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलेश्वर के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) सभिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 11/10/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अब आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुमोद किया गया है।

सभिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में वाली गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तुनिष्ठ सही प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाय।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाय।

3. मेसर्स बनसुली साईन स्टोन क्वीरी (प्रे- श्रीमती सतिश्वर कौर अरोरा), ग्राम-बनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2812)

ऑनसाईन आवेदन - इपीएल नंबर - एसआईए/ सीजी/ एचआईएल/ 438810/2023, दिनांक 01/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित प्लाट बल्लभ (पीन सभिति) खदान है। खदान ग्राम-बनसुली, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर विद्यत पॉर्ट ऑफ खसरा क्रमांक 703, कुल क्षेत्रफल-0.971 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन सन्ध्या-14,377.5 टन प्रतिवर्ष है।

राज्य सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिका संश्लेषण दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त अधिका निर्देशनाम के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघट निर्धारण प्रक्रियण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुमोद (re-appraisal) हेतु एच.ई.ए.सी., जलेश्वर के सन्ध ऑनसाईन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी., जलेश्वर के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री मनदीप सिंह अरोड़ा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्वी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्वी में रूना पत्थर (ग्रेन खनिज) खदान क्षमता क्रमांक 703, कुल क्षेत्रफल 2.40 एकड़, क्षमता-18,200 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण सलाहदाय विद्यालय इण्डियन, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 18/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 28/11/2022 की अवधि तक वैध थी।

परिचालन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भाला सखार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"BA, Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28/11/2022 तक वैध है।

- ii. परिचालन प्रस्तावक द्वारा पूर्वी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-उपस्थित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार नूतनीकरण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सलाह), जिला-रायपुर को आवेदन क्रमांक 2888/ख.सि./न.स./2023 रायपुर, दिनांक 10/10/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये पर्यवेक्षण की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	11,497
2019-20	18,200
2020-21	13,005
2021-22	14,813
2022-23	8,327

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त से दिनांक 31/03/2018 तक एवं दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किये गये पर्यवेक्षण की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

1. ज्ञान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - संलग्न एवं अटचमेंट के संकेत में ज्ञान पंचायत बनसुरी का दिनांक 05/10/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सखानन योजना - क्वार्टी प्लान विथ प्रीडिनिंग क्वार्टी क्लोजर प्लान एम्ब इन्फ्रास्ट्रक्चरमेंट मेंटेनेमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (वि.प्र.) संचालकालय, बंगिनी तथा खनिजों नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञान क्रमांक 5039/खनि02/ना.प्ल.अनुमोदन/न.ऊ.04/2016(4) का रायपुर दिनांक 28/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व) जिला-रायपुर के ज्ञान क्रमांक 1219/खनि./न.ऊ./2023 रायपुर दिनांक 18/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानों, संयुक्त 180.537 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित खदान को शामिल करती हुई कलक्टर क्षेत्र में कुल 88 खदानों का रकबा 181.528 हेक्टेयर है। विभाग द्वारा कलक्टर ऑटोमैपिंग जारी करने एवं अपके सम्बन्धित आवेदन के माध्यम टी.ओ.आर. द्वारा बनने एवं ड्रान्ट ई.आई.ए. जमा करने तक 8-8 महीने व्यतीत हो जा रहे हैं और इस बीच में आवेदित कलक्टर क्षेत्र में या तो कुछ गरीब खदानों के लिए आवेदन पत्र जारी हो जाते हैं या फिर कुछ खदानों का पट्टा अर्थात् सम्पत्त हो जाता है या हासल/प्रस्ताव द्वारा खदान निरस्त कर दी जाती है। इस कारण से ड्रान्ट ई.आई.ए. जमा करने समय कलक्टर क्षेत्र का रकबा परिवर्तित हो चुका होता है। अतः उपरोक्त कारणों से ड्रान्ट ई.आई.ए. जमा करने से पूर्व खनिज विभाग से आवेदन कलक्टर ऑटोमैपिंग प्राप्त कर अद्यतन कलक्टर का रकबा के ड्रान्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट परलेखित करते हुये कलक्टर के किसी भी एक खदान के लिए परस्पर जारी आवेदन ऑटोमैपिंग संलग्न करते हुये ड्रान्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा कराये जाने हेतु निर्देशित अधिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्तों में सम्मिलित करने का अनुरोध है। उक्त से प्रिससे समिति सहमत हुई।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व) जिला-रायपुर के ज्ञान क्रमांक 1219/खनि./न.ऊ./2023 रायपुर दिनांक 18/08/2023 द्वारा जारी ज्ञान पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में नाला स्थित है।
6. भूमि एवं सीज का विवरण - भूमि एवं सीज बीनटी सतिन्दर बीन के नाम पर है। सीज बीन 10 वर्षे अवधि दिनांक 29/11/2012 से 28/11/2022 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् सीज बीन 10 वर्षे अवधि दिनांक 28/11/2022 से 28/11/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संकेत में अनुरोध किया गया कि आवेदित क्षेत्र के कलक्टर में शामिल अन्य खदान (खसरा क्रमांक 871, 872 एवं 873, कुल रकबा 2.19 हेक्टेयर) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रस्ताव हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिससे अनुसार कार्यालय उपमन्त्रालयिकारी, रायपुर वनसंरक्षण, रायपुर के ज्ञान क्रमांक/न.ऊ.ऊ./न/3188 रायपुर दिनांक 13/12/2022 से जारी

अन्यथा प्रमाण पर अनुसार आवेदित क्षेत्र सीढ़ीना मेजर वास्तवी की सीमा से 18 कि.मी. बननवावात अन्यालय की सीमा से 88 कि.मी. एवं कांसेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 282 कि.मी. की दूरी पर है।

9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घान-घनमुली 120 मीटर, खुल घान-घनमुली 1.8 कि.मी. एवं अन्यालय चकपुर 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 कि.मी. एवं राजमार्ग 34 कि.मी. दूर है। नीतमी माता 200 मीटर, नहर 840 मीटर एवं तालाब 440 मीटर दूर है।
10. परिसिध्दिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिचोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्यालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, परिसिध्दिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र निम्न नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - पूर्व में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 1,84,950 टन एवं माईनेबल रिजर्व 49,853 टन का। वर्तमान में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 1,78,823 टन एवं माईनेबल रिजर्व 43,228 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,482 वर्गमीटर है। खोपन करस्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की इस्तमित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में खपती मिट्टी/ओवर बर्डन उपस्थित नहीं है। बेस की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खपन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक ड्रेम्ट से डिजिटल एवं सेंट्रल स्लॉटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाता है। वर्तमान इस्तमित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	14,977.5
द्वितीय	14,977.5
तृतीय	14,977.5
चतुर्थ	4,721.25

12. जल आपूर्ति - परिचोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घू-जल के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में टालाब घाट पर अबांतिटी का अन्यायित प्रमाण पर इस्तुत किया गया है।
13. कुआरक्षण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 480 नग कुआरक्षण किया जाता है, जिसमें से 200 नग कुआरक्षण किया गया 88, गैर 282 नग कुआरक्षण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुआरक्षण हेतु पीछी का रोल्प, पेंडिंग, चार एवं तिखाई तथा सख-सखाब के लिए 5 वर्षों का परतखार खज का विवरण निम्नतु प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्रस्तुतिकरण के दौरान लीज क्षेत्र की कै.एम.एल. से देखने पर समिति के सम्मू यह तथा आप कि लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) लगभग पूर्ण रूप से उत्खनित है, जिसका परतखर अनुमोदित खपती प्लान में नहीं किया गया है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी

(Handwritten signature)

सीमा पट्टी में किये गये चालूकृत क्षेत्र का उल्लेख करते हुए अद्यतन स्थिति में रिजर्व की कमान कर संशोधित अनुमोदित खानी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में चालूकृत किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त का उल्लंघन है। अतः जीव उपरोक्त नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त चालूकृत क्षेत्र को पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि गलत साक्षार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जीव मॉनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्त जारी की गई है। शर्त क्रमांक 13.10 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर लगभग 300 टन वृक्ष पत्तन उल्लंघन किये जाने के कारण उनको द्वारा राशि 1,21,000 रुपये क्षतिग्रस्त राशि उभर किया गया है, जिसका उल्लेख कर्नाटक कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-रायपुर के आगम दिनांक 13/09/2022 द्वारा जारी पत्र में किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर लगभग क्रमांक 703 में आवेदनक द्वारा उत्तर लक्षित है, जिसको क्षेत्रीय कार्यालय, कर्नातक पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, रायपुर द्वारा वृक्ष पत्तन उल्लंघन 18,200 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति दिनांक 25/01/2019 को जारी की गई। जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 12/06/2023 के अनुसार दिनांक 28/11/2023 तक की अवधि हेतु किया है।
18. लीज क्षेत्र के बाहर स्थित उत्तर से होने वाले वृक्ष उल्लंघन के निरोध हेतु कालिका के संघ में जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट को तमाम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदनक केसर्स महाशया निगराना (एसआईए / सीजी / एमआईएन / एलसी / 2021) में जाने वाली कलस खदानों को कलस में शामिल करते हुए वेसलाईन अटा कलेक्टर का कार्य 15 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया था। तत्समय वेसलाईन अटा कलेक्टर की सूचना दी गई थी। कर्नातक कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-रायपुर द्वारा जारी आगम पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उक्त कलस का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त आवेदित वेसलाईन अटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिसको लक्षित रहना है।

20. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च वास्तविक विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एनविरोन्मेंट नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEMA as well as for cluster situation where over it is not provided.
- b) If a cluster of an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखार) जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 1218/ख. लि./न.क./2023 रायपुर, दिनांक 18/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 87 खदानें, क्षेत्रफल 180.587 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-बनसुरी) का सतह 0.874 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बनसुरी) की मिलाकर कुल सतह 181.461 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का बलम्बर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की शाने गयी।
2. माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जेन को कुछ मात्र में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र के उपरोक्त उपरोक्त (Remedial Measures) की संख्या में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपरोक्त तथा क्लेयरिफिकेशन आदि के लिये समुचित उपरोक्त को क्रियान्वित बनाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजन, इंडागरी खान, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (उत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अति उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर जीव उपरोक्त निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजन को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकल्प 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ लिमिटेड (टीओआर) और ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेक्चर/एस्टिमिटीज निस्काशन द्वारा प्रकल्प की ओर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) और जीव माईनिंग प्रोसेक्चर हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
 - iii. Project proponent shall submit the previous year certified production details from 18.02.2017 to 31.03.2018 & from 01.04.2023 to till date.

- iv. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- v. Project proponent shall submit a revised approved quarry plan should be submitted after calculating the reserves in the latest situation, mentioning the excavated area in the 7.5 meter wide boundary strip around the lease area.
- vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- x. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. Project proponent shall submit the restoration plan of previously mined out area in safety zone.
- xiii. Information regarding arrangements for controlling dust emissions from crushers located outside the lease area should be submitted in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvi. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall submit point wise compliance report as per the office memorandum issued on 28/04/2023 by the Ministry of Environment, Forest and Climate, Government of India, New Delhi.

- viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियामें (एन.ई.आई.ए.ए.), प्रतीभागड़ को उद्यमान सुचित किया जाए।

1. वेसाई रीवाडीह रोड लाईन (जे-सीपी अमित साहूजी), ग्राम-रीवाडीह, तहसील-पालवी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2614) ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एन.आई.ए./ सीपी/ एम.आई.ए./ 438904/2023, दिनांक 02/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रोड (पीपल खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रीवाडीह, तहसील-पालवी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित पार्सल क्रमांक 450, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उखनन गहनरी में किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उखनन क्षमता-88,200 टन/वर्ष प्रतिवर्ष है।

उद्यमान परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, प्रतीभागड़ के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विभव साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का अडॉकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र - उखनन के संबंध में ग्राम पंचायत रीवाडीह का दिनांक 17/11/2015 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्दाकित/सीमांकित - कार्यलय कन्सेप्ट, खनिज सख्त से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमांकित का घोषित है।
4. उखनन योजना - रिबर डेड रोड गाईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जे-सीपी अमित साहूजी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञान क्रमांक

(Handwritten signature and mark)

1608/बी 3-1/न.क. 04/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 द्वारा अनुसंधित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के डायन क्रमांक 1608/बी 3-1/न.क. 02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 के अनुसार अधेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गैर खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के डायन क्रमांक 1608/बी 3-1/न.क. 02/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 28/07/2023 द्वारा जारी डायन पर अनुसार पक्का खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकॉट एवं जल संपूर्ति आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. बीमती अनिता साहूवा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के डायन क्रमांक 1604/बी 3-1/न.क. 03/2023 बलीदाबाजार, दिनांक 29/08/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक है।

भरतीसनद तालम, खनिज सख्त विभाग, मजालम, महानदी नगर, गवा सपपुर अटल नगर द्वारा भरतीसनद गौन खनिज सख्ताल गैर (उत्खनन एवं व्यवसाय) निगम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/08/2023 की जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टा की कालावधि-संशोधन से के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति उत्खनन पट्टा विरोध के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. वन विभाग का अनायतित प्रमाण पत्र - इसतुटीकरण के दौरान परिधीयन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एन.एल. फार्मल से देखने पर अधेदित खदान से वन क्षेत्र की दूरी लगभग 3 कि.मी. दूरी पर स्थित होना पाया गया है। समिति का मा है कि निकटतम वन क्षेत्र से अधेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख कर्तो दूरा कार्यालय वनसंरक्षणविभागी का अनायतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महासपूर्न संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-रीवाडीह 1.55 कि.मी., स्कूल घाट-रीवाडीह 1.85 कि.मी. एवं अस्पताल आंग 35.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.75 कि.मी. एवं राजमार्ग 27.35 कि.मी. दूर है। गवा 880 मीटर, तालाब 1.4 कि.मी., कोहर बांध 23.30 कि.मी., पीड़ किल 3.5 कि.मी. एवं एनीकॉट 8.7 कि.मी. दूर स्थित है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - अवेदान अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 1.165 मीटर, न्यूनतम 1.080 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 281 मीटर, न्यूनतम 243 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 188 मीटर, न्यूनतम 191 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 425 मीटर, न्यूनतम 405 मीटर है।

12

12. खदान खण्ड पर रेत की खोटाई – जायेंदन अनुसार खण्ड पर रेत की गहराई – 5.25 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा – 88,200 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खण्ड पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की खोटाई जानने के लिए प्रस्तावित खण्ड पर 5 गड़दे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत खोटाई 5.25 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलिंग – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खण्ड एवं प्रस्तावित खण्ड के चारों तरफ 25 मीटर गुण 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 08/08/2023 की रेत सतह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय प्रतिव (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त विषयानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.38	2%	0.54	Following activities at Village- Riwadih	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

15. सीईआर के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (जम्, कटारल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नम जिसमें से 10 नम वृक्ष पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित हैं। शेष 40 नम वृक्षों के लिए रशि 4,000 रुपये, सीसिंग के लिए रशि 6,000 रुपये, खाद के लिए रशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा सब-सिंचाई आदि के लिए रशि 15,000 रुपये इतना प्रस्ताव प्रथम वर्ष में कुल रशि 27,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल रशि 48,000 रुपये हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रीवाडीह के सहमति उपरोक्त वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 232, क्षेत्रफल 1.684 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
16. वृक्षारोपण कार्य – नदी के तट पर ग्राम पंचायत रीवाडीह के सहमति उपरोक्त सामूहिक भूमि (खसरा क्रमांक 282/1, कुल क्षेत्रफल 35.111 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर) में 1,000 नम वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है—

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रारम्भ निरन्तर हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चट्टान मार्ग से वापस हुए वास्तुजनों के निरन्तर हेतु जल शिष्टकार		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
नदी के तट पर वास्तुजनों में (1,000 नग) कृषाधीन हेतु	कृषाधीन (90 प्रतिशत जीवन एवं हेतु सति)	1,00,000	-	-	-	-
	बैन लिंक कंसिग हेतु सति	85,000	-	-	-	-
	वाच हेतु सति	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रस्त-रस्ताव हेतु सति	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
	अन्य लागत-सड़क बोर्ड, रेडियम कार एवं अन्य आकस्मिक कार्य	5,000	-	-	-	-
कुल सति = 14,40,000		4,40,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

17. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा बी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों से कार्य पूर्ण बन लेने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिपॉजिट पोस्टोवाक सहित जानकारी पर्यवेक्षण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले आर्थिक निवेदन में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परिवर्धना से जिन-जिन स्थलों से पर्यवेक्षण इस्ट वास्तुजनों होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल शिष्टकार की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. वास्तुजनों के अन्त-वास्तु नदी तट एवं चट्टान मार्ग में वास्तु कृषाधीन किये जाने एवं संभित चौकी का सत्याईवाल गेट (Santhal gate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. प्रतीकण्ड आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में अस्तित्व नहीं है।
21. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोहण, वन और जलसंधु परिचालन मंत्रालय की अधिसूचना अ.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परस्परता का प्रकरण अस्तित्व नहीं है।
24. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014) common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये विस्तार निर्देशों का पालन किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुसूचित वर्गजन योजना में दि. मई/नवंबर दिवस का 80 प्रतिशत दिवस ही उपखनन किया जाएगा।
27. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में उच्च खनन के दौरान हास्टनेबल गैस माइनिंग माइक्रोड्राईन 2018 एवं इन्वेलोपमेंट एक्ट नॉनितलीन माइक्रोड्राईन्ड फॉर सेक्टर 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
28. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं खनानी पालन प्रतिवेदन पर्यावरण सहायत्व में जमा कराने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.85 कि.मी., अस्पताल 35.80 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.85 कि.मी. की दूरी पर है जो कि खन. नीति सखिज अधिनियम 2015 में उल्लिखित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जन असुविधाओं के निवारण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे-
 1. खदान क्षेत्र को आस-पास नहीं लट एवं पट्टेक मार्ग में शर्तों और शरण सुदृश्यता किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 2. धूल(डस्ट) के निवारण के लिए टीकर से द्वारा पानी बरे सिद्धकाय किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 3. हमारे द्वारा सखिज का परिवहन सार्वजनिक से ट्रेक कर किया जाएगा, जिससे रास्ते में बाधन से सखिज न मिले।
 4. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 5. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैन्य लगाकर स्वच्छता परियोजना कराया जाएगा।

20. हमारे द्वारा आम स्कूल में परियोजना लागू की 2 इतिहास प्रति सीईआर के तहत रासायनिक के चारों ओर आम की विभिन्न प्रजातियों, जानवर एवं कटहल आदि के पौधों का रोपण एवं सुरक्षा हेतु योजना तथा 5 वर्षों तक सम्पूर्ण देखभाल किया जायेगा।
21. सरकारी का उचित रख-रखाव एवं पूरा आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल सिंचन/काया जायेगा, रोड़, आबादी, स्कूल आदि पर पूरा का प्रभाव नगण्य होगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्षीय ऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत सख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर गार्डनिंग क्षेत्र में सीमा साँभ लनाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओरों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गढ़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र गरी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
24. सीईआर कार्य एवं गरी तट में कुआरोपण कार्य के सॉफ्टवेयर एवं सर्वेक्षण हेतु वि-सीवीय समिति (डोमेस्टाईटर/इतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/इतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण एवं संचालन संस्थान के पदाधिकारी/इतिनिधि) नरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर एवं गरी तट में कुआरोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-सीवीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
25. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मर्राई का कार्य लीजर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लीजर जैसे बंध भारी यान की कंपनी के है। अतः मर्राई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जाये। भारी यानों के गरी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबों आंकड़ों का समर्थन नहीं किया गया है। महानदी बड़ी गरी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किर्वाँ उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आवेदित खदान (ग्राम-तीसहोड़) का खाना 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परीधि में स्वीकृत/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 कंपनी की गरी नहीं।
2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत गद्य अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का गरी, मदीयतः, स्थानीय जनसंघर्ष, जीव एवं सूखे जीवों पर प्रभाव तथा गरी के चारों ओर सुरक्षा का रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सराह का रेसासाईन आटा —
 1. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तालाबानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं का गरी में रेत की सराह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ों तालाब एसीआईएए, जलसंधारण की प्रस्तुत किये जाये।

- a. पोस्ट-मनसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में) सेतु काखनन इलेव करने के पूर्व इन्टी रिज सिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अगस्टीम एवं काउन्सिलींग से 100 मीटर तक तथा खान लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह को सार्ती (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित रिज सिन्दुओं पर किया जाएगा।
 - b. इसी प्रकार सेतु खनन उपरोक्त मनसून के पूर्व (सर्द माह के अंतिम अक्टूबर/नवंबर के प्रथम सप्ताह) इन्टी रिज सिन्दुओं पर सेतु सतह को लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - c. सेतु सतह को पूर्व निर्धारित रिज सिन्दुओं पर सेतु सतह को लेवलस (Levels) का मापन का कार्य अगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मनसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मनसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. पर्यवेक्षण की प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. निरन्तरता का क्षेत्र से अलोकित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कर्वालय कम्प्यूटर/ऑफिसरी का अनुरोध प्रमाण पत्र की एस.ई.आई.ए.ए. अर्जीसमूह में अद्यतन रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुशंसा की जाती है।
 5. समिति द्वारा विधान विनर्त उपरोक्त सर्वसम्मति से केसर्ल रीवाडीह सेन्ड ब्लॉक (प्री-सीनरी अनिता मनुआल), चार्ट ऑफ खरना ब्लॉक 452, घाम-रीवाडीह, तहसील-पुनारी, जिला-दलीदाराजन-भाटावाहा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में काखनन हेतु केश क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही सेतु काखनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष सेतु काखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खान पट्टे के निष्पादन की शर्तों से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में उचित शर्तों के अधीन दिखे जाने की अनुशंसा की गई। सेतु की खुदाई अमेरॉ द्वारा (Manually) की जाएगी। निरर बेड (River Bed) में चारी गहराई का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित सेतु खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीजिंग प्लाईट तक सेतु का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।
 6. सस्टेनेबल सेन्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इम्प्लोमेंट एन्ड मॉनिटोरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चिता किया जाए।

तथा राष्ट्रीय पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम (एस.ई.आई.ए.ए.) अर्जीसमूह की तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

4. केसर्ल विराट मिन्स (असस्टेनेबल अर्किनरी ब्लॉक ब्लॉक, प्री- सीनरी कुनार मुराना), घाम-पुनारी, तहसील-दलीवाहा, जिला-दक्षिण उत्तर दलीवाहा (विधिवत का नसी ब्लॉक 2813)

ऑनलाइन अर्जेशन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/438877/2023, दिनांक 02/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।



प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व में संघर्षित दो सहायक चक्कर (लीज खनिज) खदानों का सम्मिलन है। सम्मिलित खदान बल-पुल्ही, काशील-दोवाड़ा, जिला-दक्षिण बलार दोवाड़ा विभाग पार्ट जीक चक्कर क्रमांक 888/2, कुल क्षेत्रफल-3.24 हेक्टेयर में है। खदान की कुल आवंटित उत्खनन क्षमता-1,82,858 प्रतिवर्ष है।

उपरोक्त परिचयना प्रस्तावक को एसईएपी, उत्खनन के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) सभिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार गुप्ता, प्रोमटाईटर उपस्थित हुए। सभिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई-

1. संचालक, खनिजी तथा खनिकर्त अटल नगर का सचपुर के पु. ज्ञान क्रमांक 172/खनि 02/उ.प. सम्मिलन/न.अ. 04/2021 का सचपुर, दिनांक 10/01/2023 द्वारा वेसाई विगत निराल (जी- श्री रमेश कुमार गुप्ता) को सौकृत खदान चक्कर क्रमांक 888/2 क्षेत्रफल 1.42 हेक्टेयर एवं चक्कर क्रमांक 888/2 क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल 3.24 हेक्टेयर हेतु सम्मिलन किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

i. पूर्व में वेसाई स्थित निराल, जी श्री असीम मालवीय को सहायक चक्कर खदान पार्ट जीक चक्कर क्रमांक 888/2, कुल क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर, क्षमता-32,823 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्देश प्रतिकल्प, जिला-दक्षिण बलार दोवाड़ा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 को जारी की गई।

ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-दक्षिण बलार दोवाड़ा के ज्ञान क्रमांक 803/खनिज/जा./2023-24 दोवाड़ा, दिनांक 20/09/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्खनन (टन/वर्ष)
2018-19	2,387
2019-20	10,888
2020-21	11,813
2021-22	14,000
2022-23	19,583

iii. पूर्व में वेसाई स्थित निराल, जी श्री असीम मालवीय को सहायक चक्कर खदान पार्ट जीक चक्कर क्रमांक 888/2, कुल क्षेत्रफल-1.42 हेक्टेयर, क्षमता-31,138 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघर निर्देश प्रतिकल्प, जिला-दक्षिण बलार दोवाड़ा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 को जारी की गई।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-दक्षिण बलार दोवाड़ा के ज्ञान क्रमांक 804/खनिज/जा./2023-24 दोवाड़ा, दिनांक 20/09/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018-19	3,754
2019-20	13,268
2020-21	11,705
2021-22	11,440
2022-23	10,885

- क. वर्तमान में 708 नए पीछे का संयम वन छोटीवाक सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
- ख. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भागा संस्कार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भागा संस्कार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- ग. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2018 से दिनांक 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में किये गये उत्खनन की जानकारी इन में उल्लेखित कर्तव्य खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. वान पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र – उत्खनन एवं कटार के संघर्ष में वान पंचायत धुरली का दिनांक 04/01/2023 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सखनन योजना – स्वामी प्लान (अमलनमेंटेशन) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान एम्बेड्डेड स्वामी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो वन-संरक्षणक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बस्तर कोडर के पृ. आपन क्रमांक 848-849/खनिज/उत्तर.पी.अनु./उ.प./2023 कोडर, दिनांक 28/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान – कार्यालय कोडर (खनिज सखन), जिला-उत्तर बस्तर कोडर के आपन क्रमांक 170/खनिज/उ.प./2023-24 कोडर, दिनांक 11/08/2023 अनुसार अनाधिकृत खदान से 500 मीटर के भीतर अनाधिकृत खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षणक – कार्यालय कोडर (खनिज सखन), जिला-उत्तर बस्तर कोडर के आपन क्रमांक 171/खनिज/उ.प./2023-24 कोडर, दिनांक 11/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, पूजा, राज्यभवन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि अनाधिकृत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि पूर्व खोज का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। संरक्षणक भीमिरी उक्त खनिजकर्म अटल नगर नवा रायपुर के पृ. आपन क्रमांक 172/खनि 02/उ.प. सखन/न.अ. 04/2021 नवा रायपुर, दिनांक 10/01/2023 द्वारा उक्त खोजों का सम्मेलन (amalgamation) मेसर्स विरट सिन्हा, जे.- की रजि

कुमार सुरना के नाम पर किया गया। सम्मिलित (amalgamated) लीज कीज की दिनांक 20/01/2027 तक है। लीजों का सम्मेलन (amalgamation) विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पट्टेदार का नाम	खसरा क्रमांक	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर)	अवधि
1.	मेसर्स विराट मिन्साल, प्रो.- श्री रमेश कुमार सुरना	998/2 (पार्ट)	1.42	दिनांक 21/01/1997 से 20/01/2027 तक
2.	मेसर्स विराट मिन्साल, प्रो.- श्री रमेश कुमार सुरना	999/2 (पार्ट)	1.82	दिनांक 21/01/1997 से 20/01/2027 तक
सम्मेलन पश्चात् कुल क्षेत्र			3.24 हेक्टर	

पूर्व में लीज मेसर्स धुनिक मिन्साल, प्रो. श्री आशीष मालवीय के नाम पर की दिनांक 09/04/2021 को मेसर्स विराट मिन्साल, प्रो.- श्री रमेश कुमार सुरना के नाम पर किया गया।

8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनामलि प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, वरीयता वनसम्पदा, जिला-वरीयता के प्रान्त क्रमांक/का.र.व./4815 वरीयता, दिनांक 09/07/2023 से जारी अनामलि प्रमाण पत्र अनुसार आवेदिता क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवेदी घाट-बुलसी 1.5 कि.मी., स्कूल घाट-बासी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल घाट-भांसी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। सोनरी नदी 2.7 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरणीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
12. खाना संभवा एवं खनन का विवरण - जिपेलायिकल रिजर्व 13,04,383 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,37,279 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खदानन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,127.5 वर्गमीटर है। खाना कास्ट रोमी सेमीमाईज्ड विधि से खानदान किया जाता है। नू-उल में खदानन की अधिकतम गहराई 8 मीटर तथा खदानन हेतु पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी मिट्टी उपस्थित नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संरक्षित आयु 4 वर्ष है। जैक हेमर से डिजिटल एवं कंट्रोल स्टाफिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थानित है, जिसका क्षेत्रफल 830 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रयन किया जाता है। सर्वेयर प्रस्तावित खदानन का विवरण निम्नानुसार है:-





वर्ष	प्रस्तावित व्यय (₹)
प्रथम	1,68,858.00
द्वितीय	1,67,841.88
तृतीय	1,67,328.88
चतुर्थ	1,66,833.40

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकों के माध्यम से की जाती है। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनुमानित प्रभाव पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. कुशरोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की चट्टी में 1.740 नम कुशरोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 1,14,840 रुपये, पीछे के लिए राशि 3,48,000 रुपये, बाएं के लिए राशि 13,080 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,78,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,58,880 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,58,880 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा चट्टी में रखरखान – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा चट्टी में रखरखान कार्य नहीं किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (अग्निज साखा) जिला-दक्षिण बल्लार इलाका के प्रमाण क्रमांक 887 / अग्निज / प.प. / ममा.01 / 2022-23 संकेत, दिनांक 28 / 11 / 2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार रीफ (Scope) निर्माण हेतु स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग मात्रा 280 घनमीटर अग्निज का अतिरिक्त रखरखान किया गया है। उक्त के संबंध में उनके विरुद्ध अतिरिक्त रखरखान का प्रकरण दर्ज किया जाकर रुपये 1,22,800 / - अर्थात् अतिरिक्त कर राशि वसूल की गई है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Village- Dhuni	
			Pavitra van	5.20
			Total	5.20

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (अंचला, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) कुशरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नम पीछे के लिए राशि 3,300 रुपये, ट्टी-नाई के लिए राशि 10,000 रुपये, बाएं के लिए राशि 750, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,050 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,87,440 रुपये हेतु पर्यवेक्षण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पुरानी के सहमति प्रस्ताव कुशरोपण



स्थान (खसत क्रमांक 1258, क्षेत्रफल 0.08 हेक्टर) में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट/डिजाइन प्लान अनुसार खनन, लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पर्यवेक्षण हो रहा है। समिति का मत है कि खनन के लिए प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर खनन स्थानित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण प्लान (Surface plan) को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार सक्ति का उपयोग कुशादेयन किये जाने एवं संघित सीधों का 5 वर्षों तक उचित देखभाल व रख-रखाव करते हुए सतवाईयल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यवेक्षण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अंदर सी.ई.आर. इंपीअल सक्ति का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए सतवाईयल सक्ति को सफल प्रस्तुत किये गये इंपीअल के अनुसार कार्य करने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. स्टाफिंग का कार्य सी.जी.एम.एस द्वारा अधिकृत डिस्कोवरी लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. प्रतीक/अवर्स पुनर्वसनी नीति के तहत स्थानीय लोगों एवं निरुद्ध आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्रथमिकता दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. पर्यवेक्षण करत एंजनीन के निवर्तन हेतु नियमित जल विक्रय किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. पर्यवेक्षण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इंपीअल के अनुसार विहित जगह पर कुशादेयन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. खनन यूनिट को अर्थ से कवर करने बलाये जाने एवं सुरक्षा का ध्यान रखे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला नहीं किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग

की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 को अंतर्गत कोई प्रारंभिक का प्रकल्प उचित नहीं है।

30. राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा निम्नलिखित विषयों पर पर्याप्त परीक्षणों से निम्नानुसार निर्वचन किया गया—

1. एकीकृत क्षेत्रीय कर्मचारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 से दिनांक 31/08/2018 तक किए गए उत्खनन की कार्यात्मक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये उत्खनन की जानकारी टन में उल्लेखित करते हुए खनिज विभाग से उपलब्ध कराकर प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन के लिए प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर खनन स्थापित किये जाने हेतु सतहगत कार्ययोजना (Surface plan) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त अपना भी कार्यवाही की जाएगी।

परिष्करण प्रस्तावक को तदनुसार सुचित किया जाए।

8. मेसर्स दिल्ली मिल्सकीन लिमिटेड (सीमावली अधिनियम कमीशन), धान-सेवीघाटी, लहरील-बलकजमगढ़, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2818)

बीनासाईन आवेदन - प्रयोजन क्रमांक - एसआईए/ सीजी/ एनआईए/ 439114/ 2023, दिनांक 03/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान धान-सेवीघाटी, लहरील-बलकजमगढ़, जिला-रायगढ़ निश्चित खनन क्रमांक 111, 112 एवं 113(पर्वत), कुल क्षेत्रफल-2.72 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता- 8,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिष्करण प्रस्तावक को एसआईएसी, लहरीलगढ़ के द्वारा दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में लब्ध आया कि कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-रायगढ़ के डायन क्रमांक 1813/स.सि./सवा./2023 रायगढ़, दिनांक 08/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित। खदान क्षेत्रफल 2.025 हेक्टेयर है। समिति के संज्ञान में यह लब्ध आया कि उक्त कलेक्टर के भीतर एक अन्य प्रस्तावित जीव क्षेत्र को एल.ओ.आई. जारी किया गया है, जिसका उल्लेख कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र में नहीं है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर उक्त प्रस्तावित जीव क्षेत्र को शामिल करते हुए संशोधित 500 मीटर कलेक्टर प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-रायगढ़ से प्राप्त करने उपरंत खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संशोधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलेक्टर निर्मित होना। साथ ही परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/10/2023 के माध्यम से आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक को अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रकल्प को डि-लिस्ट/निवस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2020 (यथा संशोधित) के तहत मातन करती हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति की गई।

राज्य सार्वजनिक पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स लखिमपुरी रोन्ड माईन (श्री-बीमती साहिबी सिंह), घास-लखिमपुरी, तड़सील व जिला-महालखुंद (सचिवालय का मसौदा क्रमांक 2817)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 438079/2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (जीव अग्निज) खदान है। खदान घास-लखिमपुरी, तड़सील व जिला-महालखुंद स्थित खसरा क्रमांक 2480, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सूखा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के डायन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(30) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज कुमार चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

(Handwritten signatures and marks)

2. **घाट संरचना का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - एलखनन के संबंध में घाट संरचना लाइनड्रॉइंग का दिनांक 11/06/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **विस्थापित/सीमांकित** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से आवेदित पत्र खदान हेतु विस्थापन/सीमांकन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. **एलखनन योजना** - नईनिच प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भीमिरी तथा खनिजन, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के डायन क्र. 4858/खनि 02/सि/स.सं.अनु./न.क्र. 08/2023 नया रायपुर, दिनांक 20/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 727/खनि/न.क्र./2023 महासमुंद्र, दिनांक 20/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य पेट खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 728/खनि/न.क्र./2023 महासमुंद्र, दिनांक 20/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, सार्वजनिक जल स्रोत बांध या जल परिसर बनाने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. बीमाई साहिबी सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक 600/क/खनि/पेट सीलाही/न.क्र.08/2023 महासमुंद्र, दिनांक 31/08/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु है।

उत्पीलसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर द्वारा उत्पीलसगढ़ गौण खनिज संधारण पेट (एलखनन एवं आसपास) नियम, 2018 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "एलखनन पट्टे की आसपास-संधारण पेट के एलखनन हेतु एलखनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की मध्या एलखनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनसंरक्षणधिकारी, सामान्य वनसंरक्षण, जिला-महासमुंद्र के डायन क्रमांक/मा.वि./न.क्र./4859 महासमुंद्र, दिनांक 08/09/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी. दूर है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
10. **महासमुंद्र संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घाट-लाइनड्रॉइंग 483 मीटर, मध्यम घाट-लाइनड्रॉइंग 1.8 कि.मी. एवं अत्यांतल महासमुंद्र 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है।
11. **खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी छूट से दूरी** - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 527

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

मीटर, न्यूनतम 474 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 318 मीटर, न्यूनतम 312 मीटर एवं खान स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 180 मीटर, न्यूनतम 157 मीटर दर्शाई गई है। खान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 71 मीटर, न्यूनतम 57 मीटर है।

12. खान स्थल पर सेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खान पर सेत की मोटाई - 3.5 मीटर तथा सेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार खान में माईनिंग सेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। सेत काखान सेत प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध सेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित खान पर 5 मई 1988) खोदकर वस्तु की वस्तुविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार सेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.54 मीटर है। सेत की वस्तुविक गहराई सेत खान में प्रमाणित किया गया है।
13. खान क्षेत्र में सेत सतह के लेवल - सेत काखान सेत प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के चारों तरफ 25 मीटर गुना 25 मीटर के विंग सिन्दुओं पर दिनांक 02/08/2023 को सेत सतह के वर्तमान लेवल (Levels) लेवल, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉन्सीट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
64.33	2%	1.28	Following activities at Village- Lafinkhurd	
			Plantation at Village pond	1.365
			Total	1.365

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत खान के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, दुमरी, जामुन आदि) सेत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 150 नम चौधों के लिए प्रति 10,000 रुपये, फेसिल के लिए प्रति 80,000 रुपये, खाद के लिए प्रति 1,500 रुपये, सिंचाई तथा पत्र-पत्रादि के लिए प्रति 12,000 रुपये इस प्रकार प्रस्ताव वर्ष में कुल प्रति 84,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 82,500 रुपये सेत प्रस्तावित रूप में प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान पर्यावरण जांचिनसुर्द के सहायता उपरान्त पर्यावरण स्थान (खाना अन्तर्गत 3035, क्षेत्रफल 0.77 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. वृक्षारोपण कार्य - नदी के तट पर आम वृक्षारोपण जांचिनसुर्द के सहायता उपरान्त भारतीय भूमि (खाना अन्तर्गत 3412, कुल क्षेत्रफल 5.21 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर) में 1,000 नम वृक्षारोपण करने सेत प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:-

विवरण		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
राज्यीय भूमि में (1,000 घर) सुधारोपन हेतु	सुधारोपन (30 प्रतिशत जीवन घर)	70,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	पेरिडिंग हेतु घर	99,000	—	—	—	—
	खाल हेतु घर	5,000	500	500	500	500
	सिंचाई एवं रक्ष-संरक्षण कार्य हेतु घर	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
कुल राशि = 2,83,000		1,81,000	25,500	25,500	25,500	25,500

17. सी.ई.आर. के तहत तथा खदान क्षेत्र के अन्तर्गत-प्राप्त नये तट, पट्टन मार्ग में राशन सुधारोपन किये जाने एवं सेमित पीछे को सेमित कर देखा-देखा किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार किये गये उपरोक्त कार्यकल्पों को निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. कार्यालय कारोबार (खनिज सार) से अपेक्षित पैर खदान हेतु विन्डोवन/सीमांकन संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परिवोजना से जिन-जिन स्थलों से सम्बन्धित डस्ट उत्सर्जन होता, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. खलीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीय प्रकल्प वेस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लभित नहीं है।
5. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, परिवार, जन और जलवायु परिवर्तन संरक्षण की अधिनियम का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उपरोक्त का प्रकल्प लभित नहीं है।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India and petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को and petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परिचयोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का बतया पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुसूचित उत्खनन योजना में दिए गार्डिनेज रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।
9. परिचयोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का बतया पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खानन के दौरान एस्टेब्लिशमेंट सीड गार्डिनिंग गार्डिनेज 2018 एवं इन्फोर्समेंट एम्ब गार्डिनिंग गार्डिनेज 2020 को प्राथमिकता का बतया किया जाएगा।

उपरोक्त बतिया जानकारी/उत्तरावेज द्वारा होने उपरंत खानामी बतियाती की जाएगी।

परिचयोजना प्रस्तावक को उदाहरणतः सूचित किया जाए।

7. देसाई लामिकातर रोम्य गार्डिन (श्री-श्री अरविंद कुमार सिंह), ग्राम-लामिकातर, तहसील-बागबहरा, जिला-महासमुंद्र (सचिवालय का नसी क्रमांक 2018)

ऑनलाईन आवेदन - एम्प्लोय नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्प्लोय/ 439088/2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

खदान का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-लामिकातर, ग्राम पंचायत उखरा, तहसील-बागबहरा, जिला-महासमुंद्र स्थित खसरा क्रमांक 48, कुल क्षेत्रफल-1.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन खानकारी नक्शा से किया गया प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-45,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

उदाहरणतः परिचयोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. तहसीलमंड के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठक का विवरण -

(अ) समिति की 49वीं बीठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवराज कुमार चौहान, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अद्योक्षण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन को संबंध में ग्राम पंचायत उखरा का दिनांक 12/04/2010 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विस्थापित/सीमांकित - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक) से आवेदित रेत खदान हेतु विस्थापन/सीमांकन संबंधी उत्तरावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. उत्खनन योजना - गार्डिनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, श्रीमित्री तथा खनिज, नया दवापुर अटक नगर के ज्ञान क्र. 4821/खनि 02/सा/उ.पी.अनु/न.क्र. 09/2023 तथा रायपुर, दिनांक 25/07/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 725/खनि./न.क्र./2023 महासमुद्र, दिनांक 26/06/2023 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 725/खनि./न.क्र./2023 महासमुद्र, दिनांक 26/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल सरोवर बांध या जल परिवह कने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। उक्त रेत खदान की 482 मीटर अपस्ट्रीम में पुनः स्थित है।

7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की अर्पित कुमार सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक 697/क/खनि./रेत नीलामी/न.क्र.08/2023 महासमुद्र, दिनांक 21/06/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 महीने के लिए है।

प्रतीक्षित सख्त, खनिज सख्त विभाग, संजयपुर, महासमुद्र, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा प्रतीक्षित नीचे खनिज सख्तों के लिए (उत्खनन एवं अन्वेषण) नियम, 2016 हेतु संशोधन अधिनियम दिनांक 09/06/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिनियम के नियम 4 अनुसार "उत्खनन कट्टे की कालावधि-समाप्ति रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन कट्टे बांध वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। बांध वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन कट्टे की कालावधि के संशोधन दिनांक से किया जाएगा।" का प्रयोग है।

8. वन विभाग का आवंटित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभाग, सामान्य वनसंरक्षण, जिला-महासमुद्र के ज्ञान क्रमांक/वा.वि./न.क्र./35/5111 महासमुद्र, दिनांक 11/10/2023 से जारी आवंटित प्रमाण पत्र के अनुसार आवंटित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी. दूर है।

9. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-लमिताल 483 मीटर, मजुल घाट-लमिताल 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल खरिघाट रोड 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राजमार्ग 46 कि.मी. दूर है।

11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 212 मीटर, न्यूनतम 132 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - अधिकतम 628 मीटर, न्यूनतम 818 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 76 मीटर, न्यूनतम 44 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 9 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 3.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुबंधित नॉर्मल प्लान अनुसार खदान में नॉर्मल रेत की मात्रा - 45,000 क्यूमीटर है। रेत उत्खनन हेतु अर्पित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत मात्रा

की मोटाई जानने के लिए, इस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से इस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार वेत की उपरान्त औसत मोटाई 2.15 मीटर है। वेत की वास्तविक गहराई हेतु संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में वेत सहाह की लेवलिंग** – वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं इस्तावित स्थल के चारों तरफ 25 मीटर गुना 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 02/08/2023 की वेत सहाह के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोघानवा सहित जानकारी/इस्तावित प्रस्तुत किये गये हैं।
14. **नैर गाईनिंग क्षेत्र** – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 313 मीटर, न्यूनतम 132 मीटर है, जबकि खदान की नदी घाट के किनारे से दूरी अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 9 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अन्तगत नदी घाट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। उपरोक्तानुसार नदी घाट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुये 1,988 वर्गमीटर नैर गाईनिंग क्षेत्र रखा गया है। एकीकृत खदान में 482 मीटर की दूरी पर अनस्टीम में स्थित है। नये गाइडलाइन अनुसार पूरा अनस्टीम में स्थित होने से कारण खदान से पूरा की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः पूरा की तरह से खदान में 1,029 वर्गमीटर नैर गाईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार सीध क्षेत्र में कुल 2287 वर्गमीटर क्षेत्र को नैर गाईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः वेत उत्खनन का कार्य खदान के क्षेत्र 35,743 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाया इस्तावित है। उपरोक्त का पालन गाईनिंग प्लान में किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत ज्ञान प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.45	Following activities at nearby Village-Ukhra	
			Plantation at Village pond	0.45
			Total	0.45

16. सीईआर के अंतर्गत लालच के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं इमारती) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नम वीथी के लिए रशि 2,500 रुपये, पीपिंग के लिए रशि 20,000 रुपये, खार के लिए रशि 700 रुपये, सिंचाई तथा लक-लकाल आवि के लिए रशि 2,400 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 25,600 रुपये लया जागानी 4 वर्ष में कुल रशि 10,240 रुपये हेतु घाटखान व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घाट संशोधन सुचना के अर्थात घाट-समिन्तार हेतु सहजति उपरोक्त उपरोक्त स्थान

(ग्राम-समितिगत के खतना क्रमांक 197 में निम्न तालिका) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

17. कुआरोपण कार्य - नदी के तट पर ग्राम पंचायत उखरत के सहमति उपरोक्त सार्वजनिक भूमि (खतना क्रमांक 288, कुल क्षेत्रफल 3.05 हेक्टेयर में से 1 हेक्टेयर) में 800 मग कुआरोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विषय		प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
नदी तट में (800 मग) कुआरोपण हेतु	कुआरोपण (80 प्रतिशत जीवन हेतु राशि)	58,000	5,600	5,600	5,600	5,600
	कमिशन हेतु राशि	81,000	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	8,000	800	800	800	800
	सिंचाई एवं-पंचायत आदि हेतु राशि	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
कुल राशि = 2,60,800		1,53,000	24,400	24,400	24,400	24,400

18. सी.ई.आर. के तहत तथा खदान क्षेत्र के जल-वाह नदी तट, चतुर्थ वर्ष में संपन्न कुआरोपण किये जाने एवं संघित पक्षों को संघित कर देना-देना किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. सर्वोच्च कलेक्टर (खनिज सख्त) से अपेक्षित रकम खदान हेतु विन्हांकन/सीमांकन संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से नुक़्तिबिब इस्ट उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचनका की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. खलीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके किराड इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देस के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके किराड भारत सरकार, पर्यावरण, जन जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना जा.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकल्प का प्रकल्प लंबित नहीं है।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 की common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (B) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये रिक्त निर्देशों का पालन किया जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुसूचित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान आस्ट्रेनेबल लेड माईनेबल माईनेबल 2016 एवं इन्फोर्सेबल एम्ब माईनेबल माईनेबल 2016 और लेड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त बखित जानकारी/समावेद प्रदा होने परांत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. गैरवां विधिलगांव लाईन स्टॉन क्वीरी (शे-डी अककणम बीमरु), घाम-विधिलगांव, ताहतील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सविद्यालय का पत्ती क्रमांक 2818)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एम्बआईए/ सीजी/ एम्बआईए/ 439181/2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्लॉट में संघारित चूरा पत्थर (पीन खनिज) खदान है। घाम-विधिलगांव, ताहतील-जगदलपुर, जिला-बस्तर स्थित परांत क्रमांक 58, कुल क्षेत्रफल-2.37 हेक्टर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-33,412.5 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार की पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस नोबोरिफेशन दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रस्ताव है-

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2019 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस नोबोरिफेशन के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समायोजन निर्धारण प्रक्रियण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुन अनुमति (re-appraisal) हेतु एम्बआईएसी, प्रतीलागड के समस्त ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम्बआईएसी, प्रतीलागड के ज्ञापन दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 48वाँ वी बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की मनीष नहर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नारी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में सहायक सचिव खदान खासत त्तक क्रमांक 55 कुल क्षेत्रफल-2.37 हेक्टर, क्षमता-33.412.5 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रधिकरण जगदलपुर, जिला-बलार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2016 को जारी की गई।
- परिषद/उप प्रशासक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को नारी के माध्यम में की गई कार्यवाही की स्व-अनुमति जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- परिषद/उप प्रशासक द्वारा बताया गया कि 500 नम पीछे का नुसारण किया गया है। समिति का मत है कि दीपित किये गये पीछे की नुसारण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जगदलपुर, जिला-बलार को ज्ञापन क्रमांक 560/खनिज/ख.सि.02/उत्तर/2023 जगदलपुर, दिनांक 20/08/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये परखन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (पननीट)
2018-19	1,107
2019-20	716
2020-21	1,510
2021-22	745
2022-23	552

- समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2016 से दिनांक 31/03/2016 तक किए गए परखन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से अनुमति करके प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- घान संघाघत का अनुमति प्रमाण पत्र - परखन एवं उत्तर के संघ के घान संघाघत सितिभांय का दिनांक 18/04/2007 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 - परखन योजना - उत्तरी प्लान प्लान विध काली उत्तरीय प्लान विध इनवायमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बलार संघाघत को ज्ञापन क्रमांक 183/खनिज/2016 संघाघत, दिनांक 07/06/2016 द्वारा अनुमति है।
 - 500 मीटर की परिधि में निष्कृत खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त) जगदलपुर, जिला-बलार को ज्ञापन क्रमांक 648/खनिज/ख.सि./02/2023-34/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2023 को अनुसार अनुमति खदान से 500 मीटर के भीतर अनुमति खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्पोरेट कॉलेज (छान्निज शाखा) जगदलपुर, जिला-बलार के द्वारा क्रमांक 646/छान्निज/स.नि./02/2023-24/स.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एकल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ/घर, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह सार्वजनिक भूमि है। लीज की आरंभिक योजना के तहत यह है। लीज की 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/07/2007 से 17/07/2017 तक की अवधि हेतु है। उपरोक्त लीज की 20 वर्षों अवधि दिनांक 18/07/2017 से दिनांक 17/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. पत्र विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – कार्पोरेट जन सफायाधिकारी, बलार सामान्य सफायादल, जगदलपुर के द्वारा क्रमांक/स.पि./2238 जगदलपुर, दिनांक 25/05/2007 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे संबंधित लीज क्षेत्र में नदुआ प्रजाती के 6 सप्ताह स्थित है। उक्त पृथी की आवावस्था पत्रों पर ही कटाई सफाया अधिकारी से अनुमति उपरान्त ही किये जाने वाले सप्ताह सप्ताह (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी घास-तिलिगांव 250 मीटर, स्कूल घास-तिलिगांव 550 मीटर एवं अस्पताल जगदलपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. दूर है। इंदरावती नदी 250 मीटर की दूरी पर स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिस्सली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिओलॉजिकल रिजर्व 4,82,910 टन, माइनेबल रिजर्व 3,08,122 टन एवं रिक्वेरिबल रिजर्व 2,77,310 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,441 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से चलान किया जाता है। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवर बॉल की मोटाई 3 मीटर एवं माय 5,200 घनमीटर है। बेंच की चौड़ाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संघनित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से डिज़ाइन एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय जाता है। परिवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
आग	20,847.5	बचत	30,802.5



द्वितीय	31,907.5	उपभोग	31,042.5
तृतीय	35,792.5	अपभोग	31,192.5
चतुर्थ	38,432.5	नवम	32,175.0
पंचम	30,517.5	दशम	33,412.5

12. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोल से की जाएगी। 2 घनमीटर प्रतिदिन सू-जल की उपयोक्तता हेतु सेंट्रल प्राथमिक बीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। शेष 1 घनमीटर प्रतिदिन हेतु जल आपूर्ति स्वयं एवं संबंधित विभाग से अनपेक्षित प्रमाण पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 मग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछे के लिए राशि 38,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 8,000 रुपये, सिंचाई एवं राख-रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,58,000 रुपये प्रत्येक वर्ष हेतु एवं कुल राशि 89,000 रुपये अगामी चार वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पलखान – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में पलखान कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत परिवहन प्रस्तावक द्वारा स्वामी अखिलानंद सामर्थीय उच्चतर विद्यालय टिकरिया में 50 मग वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विद्यालय परिसर में 50 मग वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त क्षेत्र नहीं होने से कालम उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु धान पंचायत का सहमति उपरोक्त भूमि के खसरा क्रमांक एवं राखा का उत्तरेख करते हुए विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवश्यक सर्वकारीय से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. संश्लिष्ट किये गये 500 मग पीछे की नक्शरिन कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2018 से दिनांक 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी सविनियमित विभाग से प्रेषित करतकर प्रस्तुत किया जाए।
3. अपनी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. शेष 1 घनमीटर प्रतिदिन जल हेतु जल की आपूर्ति स्वयं एवं संबंधित विभाग से अनपेक्षित प्रमाण पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र से पीछे अवस्थित कुई की आवश्यकता पहचान कर ही कटाई रखण प्रविधारी से अनुमति उपरोक्त ही किये जाने बाबत लख पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु धान पंचायत का सहमति उपरोक्त भूमि के खसरा क्रमांक एवं राखा का उत्तरेख करते हुए विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

(Handwritten signature and mark)

7. भारत सरकार के पर्यवेक्षण, उन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26/04/2023 को जारी अधिका संशोधन में दिये गये निर्देश का विन्दुवार पालन किये जाने बाबत हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 8. सर्दियों लीज क्षेत्र के अंदर स्थान सुधारोपन किये जाने एवं संबंधित क्षेत्रों का सन्वर्द्धन रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 9. पर्यवेक्षण का कार्य सी.जी.एस.एस. द्वारा अधिकृत लिसेंस होल्डर (Explosive License Holder) द्वारा किया जाने बाबत हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 10. पर्यवेक्षण अवधि पुनर्वास नीति के तहत स्वतंत्र लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 11. पर्यवेक्षण से दिन-दिन स्थलों से पदचिह्नित इन्स्ट प्रसवर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 12. पर्यवेक्षण प्रस्तावक द्वारा खनिज नियंत्रण के तहत बायन्ट्री मिलर्स द्वारा सीमाईन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 13. पर्यवेक्षण प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह बायन्ट्रीक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत हमस पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 14. पर्यवेक्षण प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
 15. पर्यवेक्षण प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटिस से सन्वर्धित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यवेक्षण, उन और जलवायु परितर्शन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण ललित नहीं है।
 16. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India vs petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 17. भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2023 को well petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त बखित जानकारी/वस्तुवैत प्रस्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- पर्यवेक्षण प्रस्तावक को तयानुसार सुचित किया जाए।



9. मेसर्स सीटीसी इंडस्ट्रीज, प्राय-देलाही, तहसील व जिला-रायचढ़ (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2582)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/आईएनडी/438122/2023, दिनांक 10/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञान दिनांक 26/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकाल के तहत प्राय-देलाही, तहसील व जिला-रायचढ़ स्थित प्लॉट नंबर 41, कुल क्षेत्रफल-1.77 हेक्टेयर में रेगुलरिजेशन कर एकाधिकार अधिक रोलिंग मिल (डि-रोल्ड ड्रॉइंग्स क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष एवं प्रस्तावित हॉट वाटिंग रोलिंग मिल धु इन्फ्रस्ट्रक्चर क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष) कुल क्षमता-30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश लगभग 2.76 करोड़ होगी।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एसआईए, रायचढ़ के ज्ञान दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक को 12 दिनांक 12/10/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श करवांत कार्यकाल से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्ण में जारी गई वांछित जानकारी एवं सम्स्त सुसंगत जानकारी/समावेत वांछित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स सी प्रवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्राय-सवाईपारी, तहसील-तणार, जिला-रायचढ़ (सचिवालय का नसीब क्रमांक 2582)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/आईएनडी/437234/2023, दिनांक 18/07/2023 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञान दिनांक 31/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकाल के तहत प्राय-सवाईपारी, तहसील-तणार, जिला-रायचढ़, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में रेगुलरिजेशन अधिक रोलिंग मिल क्षमता-20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश लगभग 3.58 करोड़ होगी।

111

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 12/10/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श चर्चासत्र कार्यसमिति से निर्वाह किया गया कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सक्षित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिशोधन प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. **सुन्दर सैन्ड वाईन (ओ-डीनटी बसोटी सड़), धाम-सुन्दर, ताहसील-कारंग, जिला-रायपुर (सक्षिप्तजय का गणती क्रमांक 2825)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन क्रमांक - एसआईए/ सीडी/ एनआईए/ 438273/2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पार्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत (ग्रीन सॉन्ड) खदान है। खदान धाम-सुन्दर, ताहसील-कारंग, जिला-रायपुर स्थित पार्ले ऑफ खारात क्रमांक 2742, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परखनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित परखनन क्षमता-1,41,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक को एआईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञान दिनांक 08/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 12/10/2023-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिराम सावर, उपस्थित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गणती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पार्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पार्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. धाम पंचायत का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - परखनन के संकेत में धाम पंचायत सुन्दर (कुटला) का दिनांक 28/04/2019 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विनियमित/सीमांकित - कार्यलय कलेक्टर, सक्षिप्त जयरा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विनियमित/सीमांकित कर घोषित है।
4. परखनन योजना - जिला रेत सैन्ड वाईन धाम प्रस्तुत किया गया है, जो सुन्दर-संचालक (धाम) संचालनालय, पीपिडी तथा सक्षिप्त, नया रायपुर अदालत नगर के ज्ञान क्र. 4021/सनि 02/रेत/उ.पी.अनु./प.क्र. 08/2023 तथा रायपुर, दिनांक 14/08/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 083/ख.नि./न.क्र./रेत/2023 रायपुर, दिनांक 18/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 082/ख.नि./न.क्र./रेत/2023 रायपुर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान को 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध, एनईकॉट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एन.ओ.आई. का विवरण - एन.ओ.आई. बीसवीं संशुद्धि सॉफ्ट को नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 483/खनि/रेत नीलामी (रिवर्स ऑफर)/2022-23 रायपुर, दिनांक 20/03/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी किताब जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

छत्तीसगढ़ राज्य, खनिज सख्त विभाग, संजयपुर, महानदी मयन्, नया रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज सख्तन रेत (उत्खनन एवं वास्तव्य) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/05/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कांतावधि-संरक्षण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टे पांच वर्ष की कांतावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उत्खनन पट्टे विलोप के परीक्षण दिनांक से किया जाएगा" का उल्लेख है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महानदी संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-मोड़कम 750 मीटर एवं घाट-कुल्ल 1.75 कि.मी., स्कूल घाट-कुल्ल 2 कि.मी. एवं अस्पताल आरंग 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.1 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.5 कि.मी. दूर है। नहर 1 कि.मी., एनईकॉट 2.85 कि.मी., नाला 760 मीटर, लालक 880 मीटर, बांध 5.4 कि.मी. एवं बांध बिज 7.85 कि.मी. दूर स्थित है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 1,280 मीटर, न्यूनतम 1,130 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 308 मीटर, न्यूनतम 304 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 170 मीटर, न्यूनतम 154 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 405 मीटर, न्यूनतम 385 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की गहराई - 5.1 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित नार्मल प्लान अनुसार खदान में नार्मल रेत की मात्रा - 1,42,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खदान पर खनन में उपयुक्त रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का माप कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपयुक्त औसत मोटाई 5.1 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचायत में प्रस्तुत किया गया है।

12. खदान क्षेत्र में रेत खनन की सेवाएं - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की चारों तरफ 25 मीटर गुना 25 मीटर की छिद्र दिन्दुओं का दिनांक 03/04/2023 को रेत खनन के वर्तमान सेवाओं द्वारा लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रभावीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

13. सीसीईट फंडेशनल एक्टिविटी (C.E.R.) - परियोजना प्रभावक द्वारा समिति के साथ विचार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51.15	2%	1.023	Following activities at Village- Kurud	
			Plantation at Village pond	1.30
			Total	1.30

14. सीईआर के अंतर्गत खनन की चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटाल, जायुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 70 नम जिसमें से 20 नम वृक्ष पूर्व से खनन की चारों ओर उपलब्ध हैं। शेष 50 नम पौधों के लिए प्रति 5,000 रुपये, बीसिंग के लिए प्रति 7,500 रुपये, खाद के लिए प्रति 2,500 रुपये, सिंचाई तथा रक-रकाल आदि के लिए प्रति 25,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 40,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल प्रति 80,000 रुपये हेतु भटकावार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रभावक द्वारा खान संघागत कुकर (कुटेला) के सड़भरती उपरान्त प्लास्टिक स्थान (विस्तार क्रमांक 245, क्षेत्रफल 1.07 हेक्टर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. वृक्षारोपण कार्य - नदी के तट पर खान संघागत कुकर (कुटेला) के सड़भरती उपरान्त सांख्यीय भूमि (खसरा क्रमांक 2124, कुल क्षेत्रफल 4.58 हेक्टर में से 2.5 हेक्टर) में 1,000 नम वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रस्तावित निबंधन हेतु परियोजना के सीटिंग सड़भरती/पट्टा चर्च से उपलब्ध भूमि प्रस्तावित की निबंधन हेतु खनन विस्तार	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
नदी के तट पर सांख्यीय भूमि में वृक्षारोपण (30 प्रतिशत क्षेत्र) हेतु प्रति	1,00,000	-	-	-	-

(1,000 घर) कुलरोपण हेतु	बीन पेंटिंग रसि	मिड हेतु	1,00,000	—	—	—	—
	घात रसि	हेतु	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	सिंचाई एवं रस-रसदाय आदि रसि	एवं हेतु	1,55,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
कुल रसि = 14,55,000			4,55,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000	2,50,000

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कर्तों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरान्त संबंधित घात पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, डिपॉजिट ऑटोप्राक सहित जनसहरी पर्यावरण सर्वेक्षी हेतु जमा किये जाने वाले आंतराधिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. परियोजना से जिन-जिन स्कूलों से स्तुतिपत्र प्राप्त करवाये जाये, उन स्कूलों पर नियमित जल सप्लाई की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं खुद मर्म में सघन कुलरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सतर्कता रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. प्रत्येक आदर्श पूर्ववर्ती नीति के तहत स्वामीय लेनों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का सुनिश्चित जल का बर्बाद प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दंड के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ललित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, जन और जलसन्तु परिधान मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण ललित नहीं है।
23. राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause no. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 (2014) common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुसंधित उपखण्ड योजना में लिए गाईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उपखण्ड किया जाएगा।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आश्वासन का समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में लव्ड खनन की दौरान सस्टेनेबल सीड गाईनेबल गाईनेबल 2018 एवं इन्फोर्सेबल एन्ड रेगुलैटिंग गाईनेबल 2018 को लागू करने का वाक्य किया जाएगा।
27. पर्यावरण नवीकृति में दिखे गये कर्तव्य का पालन किया जाने एवं छायाही पालन अधिनियम पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आर्सेनिक स्थल से स्कूल 2 कि.मी., अस्पताल 22 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 750 मीटर की दूरी पर है जो कि छ.न. सीमा अधिनियम 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है, अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाले जनसमाख्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएँगे—
- खदान क्षेत्र से आवा-वाह नदी लट एवं पशुव मार्ग में घाटी ओर सड़क पुनर्स्थापन किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - स्कूल(अस्ट) के निराकरण के लिए टैकर के द्वारा पानी को छिड़काव किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - हमारे द्वारा अधिनियम का परिष्करण सस्टेनेबल से होकर बन किया जाएगा, जिससे चाली में खनन से अधिनियम न गिरे।
 - हमारे द्वारा चाली का परिष्करण स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जाएगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।
 - हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में सीमा लगाकर स्वास्थ्य अधिनियम लागू कराया जाएगा।
 - हमारे द्वारा खनन स्कूल में परियोजना लागू की 2 प्रतिशत चाली सी.ई.आर. के तहत टासाव की घाटी ओर खनन के विभिन्न प्रकृतियों, जाधुन एवं कटल आदि के पीछे का रोपण एवं सुखा हेतु बीसिंग तथा 5 वर्षों तक सम्पूर्ण रोपणाल किया जाएगा।
 - सड़कों का तटित गड-गडवा एवं गूल आदि से सुखा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जाएगा, रोड, आबादी, स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य होगा।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सभी अनु के दौरान इस उपखण्ड का कार्य नहीं किया जाने बाबत समर्थन पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर गाईनेबल क्षेत्र में सीमा स्थापना करना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों ओर लव्ड सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के चर्ने गड़ना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नहीं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

31. बी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में पुनरोपस्थापन कार्य को सीमितरिध एवं परिकल्प हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत की पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिंचन एवं पर्यावरण संरक्षण मण्डल की पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही बी.ई.आर. एवं नदी तट में पुनरोपस्थापन का कार्य पूर्ण किये जाने की उद्योग गठित त्रि-पक्षीय समिति को सार्वजनिक करवा जाना आवश्यक है।

32. रेत उत्खनन केन्द्रित विधि से एवं भरतई का कार्य लोकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोकर जैसे गड मारी बाहन की श्रेणी से है। अतः भरतई का कार्य केन्द्रित विधि से ही कराई जावे। पानी बाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

33. परिषेजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुसंधित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालाबों आंकड़ों का सार्वजनिक नहीं किया गया है। गहराई बढ़ी नहीं है तथा इसमें वर्षाकाल में सम्भवतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त शर्तसम्बन्धित से किन्तानुसार निर्णय किया गया-

1. आवेदित खदान (ग्राम-कुसुम) का सख्या 5 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने की स्थिति यह खदान की-2 श्रेणी की मांगी गयी।

2. परिषेजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गणना अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) समतुल्य सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसक्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी की पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन से प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसाटाईन आटा -

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व अनुरोधानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के माप (Levels) का सर्वे कर, उसमें आंकड़ों सम्बन्धित एच.ई.आर.ए.ए., जलसिंचन को प्रस्तुत किये जावे।

ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में निर्धारित लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के माप (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जावेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपर्युक्त मानसून से पूर्व (मई माह से अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून से अंतिम दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून से अंतिम दिनांक 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आर.ए.ए., जलसिंचन को प्रस्तुत किए जावेगे।

172

4. समिति द्वारा विद्या विमर्श उपखंड सर्वसम्मति से मेसर्स कुल्ल वीम्ब गाईन (प्री - सीमा) बसंती सहू, पार्ट ऑफ खाना अर्थांक 2742, घान-कुल्ल, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, कुल सीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु वीज क्षेत्र का कुल 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन घाटे को निपटारण की दृष्टि से राय एवं तक की अपेक्षा हेतु परिशिष्ट-02 में उचित शर्तों के अधीन दिखे जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई शर्तों द्वारा (Manually) की जाएगी। विद्या वेड (Miner Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीज क्षेत्र में विद्य रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pit) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार गहराई से वास्तव सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिकूल (एच.ई.आई.ए.ए.) छलीसगढ़ की उपानुगत सुचित किया जाए।

12. मेसर्स साईराम इंटरप्राइजेस (पार्टनर-श्री अजय कसीड), घान-सुसीनार, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-सुईखदान-गम्हाई (सचिवालय का नक्सा अर्थांक 2822)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजस नम्बर - एच.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 432248 / 2023, दिनांक 05 / 08 / 2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कुल पत्थर (सीज खनिज) खदान है। खदान घान-सुसीनार, तहसील-खैरागढ़, जिला-खैरागढ़-सुईखदान-गम्हाई स्थित पार्ट ऑफ खाना अर्थांक 48, कुल क्षेत्रफल-1.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,038 टन प्रतिवर्ष है।

उपानुगत परियोजना प्रस्तावक श्री एच.ई.ए.सी, छलीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 08 / 10 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 13 / 10 / 2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनुभव मसीड, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. घान पंचायत का अप्रामाणिक प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में घान पंचायत प्रतिमा का दिनांक 14 / 03 / 2022 का अप्रामाणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **संरक्षण योजना** - काशी जल प्रकृत किया गया है, जो उप-संचालक खनिज प्रशासन, जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 44/खनि. अनु-01/2023 दुर्ग, दिनांक 11/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सीतामढ़-सुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 129/खनि. 02/2023 दिनांक 11/07/2023 अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.182 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित कार्यालयिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सीतामढ़-सुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 129/खनि. 02/2023 दिनांक 11/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्यालयिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनईकए, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** - भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स साईनान इंटरप्राइजेस के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सीतामढ़-सुईखदान-गण्डई के ज्ञापन क्रमांक 18/खनि. 02/2023 की सु.प. दिनांक 14/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी कतत जारी दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक है। पार्टीनशीप क्षेत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री अजय मसीह, श्री जयतीमाई अटारिया, श्री अनुभव मसीह, श्री चहुल मल्ल एवं श्री अजय मल्ले पार्टीनर है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनामतित प्रमाण पत्र** - कार्यालय जलसंचाल अधिकारी, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जलसंचाल सीतामढ़, जिला-सचनसदगांव के ज्ञापन क्रमांक/स.वि./स.अ. 25 (पार्ट-2)/880 सीतामढ़, दिनांक 18/04/2022 से जारी अनामतित प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.70 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महाकूर्म संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आबादी घान-सुसीघार 450 मीटर, स्कूल घान-सुसीघार 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि. मी. एवं राजमार्ग 23 कि.मी. दूर स्थित है। जलनेर नदी 6 कि.मी. दूर है।
10. **परिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्त्यालय, क्षेत्रीय प्रमुख निवासन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्टिकली पीन्क्यूटेड एरिया, परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन संख्या एवं खनन का विवरण** - डिपोजीटिकल रिजर्व 4,86,700 टन, मार्गिनाल रिजर्व 2,70,255 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 2,43,230 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,120 वर्गमीटर है। खनन कास्ट सेमी मेसेन्सईज विधि में उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। सीज क्षेत्र में जमीन मिट्टी उपस्थित नहीं है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.8 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 81 वर्ष है। सीज क्षेत्र में खनन प्रस्तावित नहीं है।

प्लेन हैबर से डिजिटल एवं सॉटल स्याटिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पल का डिज़ाइन किया जाएगा। वर्षाजल संचयित प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	संचयित प्रमाणन (टन)
प्रथम	30,038
द्वितीय	30,038
तृतीय	30,038
चतुर्थ	30,038
पंचम	30,038

12. पल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक पल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना हेतु आवश्यक पल की आपूर्ति के स्वतंत्र एवं अनुमति संबंधी जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. कुआरोपम कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में खनी और 7.5 मीटर की गहरी में 1,224 नम कुआरोपम किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में संचयन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी में संचयन कार्य नहीं किया गया है।
15. अनुमोदक के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बैकलाइन अटॉरिजेशन का कार्य अक्टूबर 2023 से प्रारंभ किया जाएगा।
16. भारतीय एन.डी.टी., सिविल सेवा, नई दिल्ली द्वारा सस्टेबल पारंपरिक विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (पेरिऑडिक एडिजिटेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुद्रा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कर्पासय सलेक्टर (खनि बाधा), जिला-सौराष्ट्र-छुईखदान-गम्हई के प्रारंभ दिनांक 129/ख.सि. 02/2023, दिनांक 11/07/2023 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.162 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सुसीपार) का रकबा 1.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सुसीपार) को मिलाकर कुल रकबा 5.781 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचयित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का अवलोकन निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से प्रकल्प 'बी' श्रेणी के होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित सौमवर्ष टर्म ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज डिस्कायर्स इन्फॉर्मेशन फॉलोअप अथॉरिटी रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज डिस्कायर्स इन्फॉर्मेशन फॉलोअप अथॉरिटी रिपोर्ट, 2008 में निर्मित कंपनी (ए) का सौमवर्ष टीओआर

(लोक सुनवाई अधिनियम) नीचे बोल पाठ्यक्रम प्रस्तुत हेतु निम्न शर्तिकां पालन के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.
- iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.
- iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- v. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- x. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xi. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.
- xii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

उपरोक्त शर्तिकां पालन करने पर अनुमति प्रदान करने के लिए (एम.ई.आइ.ए.ए.) प्रतीतिपत्र जारी किया जाये।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-3:

परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वित्तिय जानकारी/प्रस्तावक प्राप्त प्रकरणों में आवेदन पत्रवात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाय।

1. वेस्ट की तुलसी फॉरेस्ट्स लिमिटेड, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, घान-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुद्र (समिचालन का नस्ती क्रमांक 19025)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी3/ 11884 /2022, दिनांक 03/02/2022 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। उपरवात् प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी3/295214/2022, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी टीओआर में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ आईएनसी3/ 402889/2022, दिनांक 29/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र, घान-बिरकोनी, तहसील व जिला-महासमुद्र स्थित प्लॉट नं - 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल - 5.288 एकड़ में प्रस्तावित सिंगल फ्लोर स्टैन्डर्ड (एसएससी)/ट्रिपल फ्लोर फ्लोर (टीएफसी) क्षमता-1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया। परियोजना का कुल निवेश रुपये 20.5 करोड़ होगा।

एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के अधिन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण सी-1 सेक्टर का होने के कारण भूगत सूचना के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संशोधन, नई दिल्ली द्वारा अक्टू, 2015 में प्रस्तावित स्टैन्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी डेर) कोमिशन फटिलाईजर्स हेतु स्टैन्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

उपरवात् एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के अधिन क्रमांक 738, दिनांक 23/08/2022 एवं क्रमांक 887, दिनांक 08/09/2022 द्वारा पूर्व में एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के अधिन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 से जारी टीओआर में "टीओआर (लोक सुनवाई सहित) के अधिन पर टीओआर (बिना लोक सुनवाई)" एवं "क्षेत्रफल 4.28 हेक्टेयर के स्थान पर 5.288 एकड़" हेतु टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के अधिन दिनांक 18/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 19/07/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु की विवरण सुझाने, ऑपरेशन एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स म् इन्फ्रानोटेक इन्फ्रेस्ट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की ओर से की मौखिक सुधार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवरोधन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. जल एवं वायु सम्बन्धि -

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में आईसी-सुटिफाइड प्रोडक्ट फॉर एपीकलन अधिन - 15,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, क्षमक वाहन

– 3,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एवं मिलासड कार्टीसाईजल – 5,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई है, जो दिनांक 20/04/2022 तक वैध थी। समिति का मत है कि आगामी अवधि हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण की प्रति जसुत किया जाना आवश्यक है।

- समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही को विन्दुवार जानकारी उत्तीर्णपत्र पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर जसुत किया जाना आवश्यक है।

2. **सीड का विवरण** – उत्तीर्णपत्र स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 25/10/2010 के द्वारा मेसर्स की तुलसी फौलडेरस लिमिटेड को जारी किया गया है। सीड अनुसूचन विस्कोनी औद्योगिक क्षेत्र, जिला-महासमुद्र, क्षेत्रफल 5.28 एकड़ भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आवंटन किया गया है, जिसकी किताब दिनांक 25/10/2010 से दिनांक 24/10/2109 तक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापी संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आवासीय घान-विस्कोनी 380 मीटर एवं मखुल घान-विस्कोनी 380 मीटर दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन केलसोम्बा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थानीय विवेकानंद विमानतटान्, मन्ना, रायपुर 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 300 मीटर दूर है। कंटोरी नदी 2.08 कि.मी., महागरी 2.85 कि.मी., कुवार नदी 3.88 कि.मी. दूर है।
- तुम्हाव आश्रित वन 5.88 कि.मी. एवं सेरिड संरक्षित वन 8.87 कि.मी. दूर है।
- परियोजना आवासीय द्वारा 10 कि.मी. की परिसर में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पीयूटेड एरिया, कारिबिथिडीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

4. कार्यालय अनुसूच संघालक, नगर तथा घान निवेश, जिला कार्यालय रायपुर के आगन क्रमांक 1964/नघानि/125/2005 रायपुर, दिनांक 18/02/2005 द्वारा कार्यालय संघालक, उत्तीर्णपत्र स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को घान-विस्कोनी में औद्योगिक क्षेत्र के अधिन्यास के संबंध में पत्र जारी किया गया।

5. उत्तीर्णपत्र स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आगन क्रमांक सीएचआईडीसी/एलटी/09/8558, दिनांक 08/12/2009 द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने हेतु लेण्ड एलौटमेंट ऑर्डर जारी किया गया।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Description	Area (in SQM)	Percentage (%)
1.	Main Plant Building	4,544	21.11
2.	Parking, Other area, Open & Road Area	5,717.9	26.73
3.	Green Area	10,730.3	50.16
	Total	21,392.2	100

(Handwritten signature and initials)

7. ई-वर्गीकरण –

S.No.	Name of Raw Materials	Quantity (MTPA)	
Existing Products for Micronutrients			
1.	Acetic Acid	220	
2.	Caustic Soda	170	
3.	Ethylene Additive	25	
4.	Hydrochloric Acid	2,300	
5.	Soda Ash	2,500	
6.	Zinc Dross	225	
7.	Amorphous Silica Powder	4,500	
8.	Sulphuric Acid	450	
Proposed Products for SSP / TSP			
1.	SSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	590
2.		Sulphuric Acid (con 98%)	411
3.	TSP Unit	Rock Phosphate / Bone Ash	590
4.		Phosphoric Acid (con 98%)	411

8. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S.No.	Products	Quantity (MTPA)
Existing Products		
1.	Micronutrient Product (Zinc Sulphate, Mixture of Micronutrients etc.)	15,000
2.	Barbed Wire	3,000
3.	Mixed Fertilizer	5,000
Proposed Products		
1.	Single Super Phosphate (SSP) / Triple Super Phosphate (TSP)	1,00,000

- a. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि सीक फॉस्फेट को हाईनडिंग युनिट में इंडियन उपरोक्त साईक्लोन में ले जाया जाकर हाउसड सीक को फिडर में भेजा जाएगा। इंडियन उपरोक्त साईक्लोन में ले जाया जाकर हाउसड सीक को फिडर में भेजा जाएगा। फिडर उपरोक्त सीक फॉस्फेट को क्लीब कन्वेंयर, एलीमिटर के माध्यम से पीडल मिस्टर में भेजा जाएगा। सीक फॉस्फेट (30% P₂O₅ content), 98% concentrated H₂SO₄, स्ट्रीट एमिस (72%) एवं पानी के साथ रिएक्टर (Reactor) में रिएक्शन (Reaction) कराया जाकर क्यूरिंग (Curing) एवं ग्रेनुलेटर (Granulator) के माध्यम से सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया जाएगा। सहाय्यक रिएक्टर से रिएक्शन (Reaction) के दौरान उत्पन्न होने वाले गैसों के नियंत्रण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने का उल्लेख है:-

20 to 30% of fluoride from rock phosphate is generated in gas form during the reaction between Sulphuric Acid and Rock Phosphate. HF and SiF₄ are soluble in water, thus it gets absorb in water easily. The SiF₄ easily get scrubbed in the presence of water. The emissions are recovered as H₂SiF₆ in the scrubbing system.

The SiF₄ reacts with water to form Hydro-fluosilicic acid and silica. Silica reacts with HF to produce additional SiF₄, which reacts with water. Involving following reactions:

संसाधनिक दृष्टि एवं पर्यावरणिक दृष्टि को एच.एस. टी. में रखा जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति सी.एम.आई.डी.सी. से की जाएगी।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल की मात्रा 14 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी। औद्योगिक दूषित जल हेतु वर्तमान में स्थापित ई.टी.पी. (न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम) से उपचार किया जाना प्रस्तावित है। उपचार उपरांत जल का उपयोग पुनः प्रक्रिया में किया जाएगा। प्रक्रिया से जनित सिलिका सिल्वर (Silica Sludge) को सिलिका सिल्वर पिट में रखने उपरांत हुई सिलिका को सिल्वर एवं $MgSO_4$ को पुनः दृष्टिक आसूतन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परिशोधन से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक अस्थापित सीकेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। उपचारित जल का उपयोग कृषावैयण में किया जाना प्रस्तावित है। सूख निस्काशन की स्थिति रही जाएगी।
- **भू-जल स्तरीय प्रबंधन** – राष्ट्रीय स्थल सेंट्रल प्रायम्ब वाटर बोर्ड के अनुसार बेंगलूर में जल है। जिसके अनुसार—
 - (अ) कुल एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःप्रयोग एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
 - (ब) प्रायम्ब वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वैस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के अभाव पर भू-जल निम्नले जाने की अनुमति सेंट्रल प्रायम्ब वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- 13. **रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वैस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण / जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 14. **विद्युत आपूर्ति सौदा** – प्रस्तावित कार्मिकालय उपरांत परिशोधन हेतु 400 किलोवॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति प्रतीभगद राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। कैपिटल व्यवस्था हेतु 1 नए 500 की.वी.ए. क्षमता का सी.जी. सेट स्थापित है।
- 15. **कृषावैयण संबंधी जानकारी** – हरित परिट्रल के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.072 हेक्टेयर (25.16 एकर) क्षेत्र में 1,765 नए कृषावैयण किये जाने का प्रस्ताव है। समिति का मत है कि कृषावैयण (नीचों के संख्या सहित) हेतु पीछी का रोपण, सुखा हेतु फीसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 3 वर्षों का परिवार शटकवार एवं समग्रगत व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**—
 - 1. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – बीनोटरींग कार्य दिसम्बर 2021 से फरवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
 - 2. **बीनोटरींग कार्य के सत्यापन हेतु फोटोग्राफ्स अक्षांत एवं देशांत सहित प्रस्तुत किया गया है।**

ii. निम्नलिखित परिसरों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का मानक लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25	29	60
PM ₁₀	50	66	100
SO ₂	8.9	10.9	80
NO _x	13.4	21.4	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में वर्गीकृत किये गये लेवल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लैड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मानक लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय श्रुति स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day Leq	46.8	59.8	75
Night Leq	40.4	53.1	70

जो उच्च स्तर के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जी.एल.सी. की गणना:-

S.No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Predicted GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Total GLC ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1	PM _{2.5}	66	6.4	72.4
2	PM ₁₀	29	20.9	49.9
3	SO ₂	10.92	1.4	12.32
4	NO _x	21.37	1.8	23.17

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधा (Flora) एवं जीवा (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के माध्यम से वार्षिक रूप से निम्नानुसार निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2,050	1%	20.5	Following activities at Village- Birkoni	
			Plant Van	27.375
			Nirman	
			Total	27.375

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिचय बन निर्माण" के तहत (जोड़ना, कर्मज, नीम, आम, जामून, कदम आदि) कुल 500 वृक्ष प्रस्ताव अनुसार 500 नए पौधों के लिए राशि 42,500 रुपये, बीजिंग के लिए राशि 2,50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 50,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 75,000 रुपये तथा सब-संरचना के

लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 7,57,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 19,70,000 रुपये हेतु घटकदार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत विद्युतीकरण के सम्बन्धी उपरोक्त पञ्चायत स्तरीय स्तर (खसरा क्रमांक 2435, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का यह है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिष्कृत वन निर्माण" के तहत प्रस्तावित भूमि (खसरा क्रमांक 2435) का भू-स्वामी संबंधी दस्तावेज (पी-1, पी-2) की प्रती प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा आवश्यक कार्यसम्पत्ति को निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति ताली के फालन में की गई कार्यवाही की किन्तु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परिवोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए।
3. रीन वॉटर इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रायव्हा के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रयोग का जे-आउट प्लान को पूर्ण रूप परीक्षा सहित प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रयोग परिसर के भीतर किये जाने वाले वृक्षारोपण के तहत 1,785 वर्ग फीटों के वृक्षारोपण हेतु पीछों का रोपण, खुदा हेतु केंचिंग, खाद एवं मिथाई तथा एक-सहाय के लिए 8 वर्षों का वर्षावन घटकदार एवं समतल व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिष्कृत वन निर्माण" के तहत प्रस्तावित भूमि (खसरा क्रमांक 2435) का भू-स्वामी संबंधी दस्तावेज (पी-1, पी-2) की प्रती प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एच.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 29/09/2023 के परिपत्र में परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त दिनांक 04/10/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 401वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

समिति द्वारा यहाँ, प्रस्तुत जानकारी का अध्ययन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय प्राप्त हुई:-

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कबीर नगर, रायपुर से नाईकोन्सुट्रिब्यूट प्रोडक्ट फॉर एरोकलनर ग्राम - 15,000 मीट्रिक टन प्रोडक्ट, बालक सार - 3,000 मीट्रिक टन प्रोडक्ट एवं मिथाइ फर्टिलाइजर - 5,000 मीट्रिक टन प्रोडक्ट हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 08/10/2023 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/04/2024 तक वैध है।

परिवोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्पत्ति ताली के फालन में की गई कार्यवाही की किन्तु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत

नहीं किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि जल्द जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परिवोजना की कुल लागत 17.5 करोड़ रुपये का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. रेन वॉटर हार्डवेयर व्यवस्था के संबंध में मसला कर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
4. उद्योग का ले-आउट प्लान को.एम.एल. आईल सहित प्रस्तुत किया गया है।
5. उद्योग परिसर के भीतर किये जाने वाले कुआरीयन के तहत 1,785 स्क्व मीटर के कुआरीयन हेतु राशि 1,78,500 रुपये, खाद के लिए राशि 1,78,500 रुपये, सीमेंट के लिए राशि 88,250 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 2,64,750 रुपये एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,47,100 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 6,53,100 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 22,23,800 हेतु पर्याप्त रूप से व्यवस्था प्रस्तुत किया गया है।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिवहन निर्माण" के तहत प्रस्तावित सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (कमरा क्रमांक 2433) की वसतयोजना (पी-1, पी-2) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार किये गए उनकांत कार्यसूची से निम्नांकित निर्माण किया गया—

1. वर्तमान में स्थापित इकाईओं हेतु उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यसूची की विन्दुवार जानकारी उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर ए.ई.आई.ए. उत्तीर्ण में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अंतर्गत ही पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमति की जाती है।
2. मेसर्स श्री सुलभा सीमेंट्स लिमिटेड, बिल्खेनी औद्योगिक क्षेत्र, राम-बिल्खेनी, तहसील व जिला-महासमुंद्र सिंधा पीठ नं. - 212, 213 एवं 214, कुल क्षेत्रफल - 6.288 एकड़ में प्रस्तावित सिंगल सुपर फॉसफेट (एसएफपी)/ट्रिपल सुपर फॉसफेट (टीएसपी) क्षमता-1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु परिसिफ्ट-03 में वर्णित शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिया (एस.ई.आई.ए.) उत्तीर्ण की तदनुसार सुधित किया जाए।

2. मेसर्स आमाखोनी आईल स्टोन कारी (प्री- की राज्य मसला), राम-आमाखोनी, तहसील-सिन्हा, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघरा (सर्विवालय का मसला क्रमांक 1888) ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीजी / एमआईए / 70880 / 2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमीषी होने से कारण दिनांक 06/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा वर्धित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित कृषा पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान राम-आमाखोनी, तहसील-सिन्हा, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघरा सिन्हा

खसत क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-32,245.89 टन प्रतिवर्ष है।

उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक को एनईएसी, प्रवीणगढ़ को डायन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय नरकर, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में कुल चार (तीन खनिज) खदान खसत क्रमांक 89, 90, 91, 92 एवं 93, कुल क्षेत्रफल-0.83 हेक्टर, क्षमता-32,245.89 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संसाधन निर्धारण अधिनियम, जिला-बलीदाबाजार-नाटनगर द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी खोटी/गलत सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवदुहरे से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन अधिवेदन प्रथा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-नाटनगर को डायन क्रमांक 664/टीन-8/न.अ. /2022 बलीदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	12,900
2018	32,050
2019	26,855

2020	4,268
2021 (31 मार्च 2021)	निरंक

समिति का मत है कि मार्च 2021 के उपरोक्त किए गए उल्लंघन की वार्षिक जांच की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से इमार्गित करना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. घान पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उल्लंघन की संख्या में घान पंचायत जामाहोनी का दिनांक 20/10/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उल्लंघन योजना – जयश्री प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो तप-संघालक (खनि प्रशासन), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 1818/खनि./तीन-1/2015 बलीदाबाजार, दिनांक 11/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 894/तीन-8/न.ख./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 82.887 हेक्टर हैं।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के ज्ञापन क्रमांक 894/तीन-8/न.ख./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार फसल खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनकेड आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण – भूमि एवं लीज की सार्वजनिक सूची के नाम पर है। लीज बीच 10 वर्षों अवधि दिनांक 22/08/2008 से 21/08/2016 तक की थी। तत्पश्चात् लीज बीच 20 वर्षों अवधि दिनांक 22/08/2016 से 21/08/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।
7. डिमंडींग सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिमंडींग सर्वे रिपोर्ट (Demand Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनसम्पदाधिकारी, बलीदाबाजार वनसंरक्ष, जिला-बलीदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/24 बलीदाबाजार, दिनांक 08/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवंटित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 8.54 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी एवं स्कूल घान-सुहेला 4 कि.मी. अस्पताल घान-सुहेला 4 कि.मी दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.14 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तराष्ट्रीय अन्तर्देशीय प्रमुख निरंतरता बोर्ड द्वारा घोषित किरिगली पीनलैंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खनन संघदा एवं खनन का विवरण – जिओलॉजिकल रिजर्व 3,91,872 टन, माइनेबल रिजर्व 1,50,022 टन एवं रिजर्वेड रिजर्व 1,36,020 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,488.38 वर्गमीटर है। खोपन काल में नियुक्त विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में काली मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अस्तर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से डिडिंग एवं कंट्रोल स्थापित नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रल किया जाता है। वर्षा परभावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,067.72
द्वितीय	32,245.89
तृतीय	26,896.20
चतुर्थ	31,343.48
पंचम	27,436.14

12. जल आपूर्ति - परिशोधन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनामित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,800 गम वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - प्रस्तुतकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,488.38 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है, जिसका पुनर्स्थापन किया जाना संभव नहीं है। इस बावजूद सतह पर (Mechanized Landfilling) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्थिरता की दृष्टि का उत्तराधान है। अतः परिशोधन प्रस्तावक के विरुद्ध निष्पन्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जिस स्थान पर पुनर्स्थापन किया जाना संभव है, उस स्थान का पुनर्स्थापन कर वृक्षारोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ सहित सर्वेक्षण ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किया जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।
15. प्रस्तुत कथारी प्लान अनुसार खदान की संभावित आयु 5 वर्ष की, जिसके अनुसार उत्खनन किया जा चुका है। अतः समिति का मत है कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में निजर्त की गणना कर अनुमोदित कथारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि सतह सस्कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा तीन कोल सड़कें प्रोजेक्ट हेतु मानक पर्यावरणीय सर्त जारी की गई है। सर्त क्रमांक 4(3)(d) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt

shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

उक्त प्रावधान शर्तों के अनुसार माईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन में क्लारिफिकेशन किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एम्.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोदय पारम्परिक विस्मट्ट भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एनक्वायरी नं. 188 डीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आवेदन में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by BEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्वहण किया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (ग्रामीण शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटावाट के अधिन 2022 डीक 884/सीन-4/न.उ. /2022 बलीदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 82.887 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-अमाकोनी) का एका 0.83 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अमाकोनी) को गिनाकर कुल एका 83.714 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में एकीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कवरज निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की शायी गयी।
2. माईन सीज क्षेत्र के शर्तों और 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उखनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारों (Remedial Measures) के संकेत में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा क्लारिफिकेशन आदि को लिये समुचित उपचारों को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजम, इंदौरवी नगर, तथा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (प्रतीक्षित) को लेख किया जाए।
3. प्रदूषित 7.5 मीटर चौड़ी रोपटी क्षेत्रों में अधि उखनन किया जाना पाये जाने पर जीव उपरोक्त परियोजना प्रस्तावक के विस्मट्ट निषेधानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजम को एवं कार्यालय को शर्त पत्रुधाने हेतु प्रतीक्षित पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर को निषेधानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षण का फलन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्मस डीक रिजनेस (टीओआर) और ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिजनेस इन्फार्मेट क्लीअरेंस अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित शर्तों 1ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर

(जोड संख्याई सहित) नीच कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त
टीकांकृत के साथ जारी किने जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit the revised quarry plan with reserve calculation.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

- vi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit CIER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 20/03/2023 को संयन् 142वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नली का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रतिक्रमण द्वारा विचार विषय उपरोक्त सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किये जाने के उपरोक्त ही उपयुक्त अनुसंधान किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को सौंपा प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया।

(क) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 14/06/2023 को परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 03/10/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनमालय, मीनिही तथा खनिकर्मा, नया रायपुर अटल खनन के ज्ञापन क्रमांक 0306/खनि. 02/मा. पत्र अनुमोदन/न.अ.08/2021(1) तथा रायपुर दिनांक 16/12/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जिपसोलॉजिकल रिजर्व 5,80,250 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,47,877 टन है। वर्तमान में जिपसोलॉजिकल रिजर्व 4,80,245 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,40,483 टन शेष है। जीज की 7.5 मीटर चौड़ी पीला पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,486.36 वर्गमीटर है। औपम साइट में उपयुक्त मिट्टि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। जीज क्षेत्र में क्वारी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। जीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जीक हेमल से डिजिटल एवं कंट्रोल स्थापित नहीं किया जाता है। वर्षाकाल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,736.88	चतुर्थ	9,476.67
द्वितीय	11,846.91	पंचम	9,475.5
तृतीय	10,589.22	अष्टम	9,476.26
षष्ठ	9,493.89	नवम	9,476.77
दशम	9,481.35	दशम	9,477.08

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से पूर्व में समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 में की गई अनुमति को अद्यतन पर टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किये जाने की अनुमति की गई थी एवं पुनः अनुमति की जाती है। साथ ही समिति द्वारा निर्दिष्ट की गई शर्तें मध्याह्न रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिबन्धन (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीर्णता को तदनुसार सुचित किया जाए।

3. मेरवा डोनर रोड माईन (बी- बी रोडकोट फ्लैट), ग्राम-डोनर, तहसील व जिला-बनारसी (सचिवालय का नसी क्रमांक 2235)

जीएनआईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीसी/ एसआईएन/ 411488/ 2022, दिनांक 20/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय शीर्षक हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित प्लॉट (ग्रीन खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-डोनर, तहसील व जिला-बनारसी जिला खसरा क्रमांक 2774, कुल क्षेत्रफल-4.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गहनरी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 89,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., उत्तीर्णता को प्राप्त दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 25/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु बी बी रोडकोट सुकरा, अतिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय शीर्षक संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय शीर्षक जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनारहित प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डोनर का दिनांक 13/07/2017 का अनारहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज सार्वभूमि से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो लक्ष-संचालक (खनि प्रदा), जिला-उत्तर बनारस कार्बोनेट के द्वारा क्रमांक 848-880/खनिज/ उत्ख. बी.अनु./प्ल./2022-23 प.प.कार्बोनेट, दिनांक 18/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में निश्चल खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्वभूमि), जिला-बनारसी के द्वारा क्रमांक 1811-सी/खनि/न.अ. /2022 बनारसी, दिनांक

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

12/12/2022 के अनुसार आवेदित खदान में 600 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गैर खदानों की संख्या निरंक है।

6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धनशरी के डायन क्रमांक 1811-ए/खनि./न.अ./2022 धनशरी, दिनांक 12/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति जति प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की वेबसाइट पेटल के नाम पर है जो कार्पोरेट कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धनशरी के डायन क्रमांक 1792/खनिज/निविदा/2022 धनशरी, दिनांक 08/12/2022 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाम-दोनर 600 मीटर, स्कूल घाम-दोनर 1 कि.मी. एवं अस्पताल कुकट 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है। सर्वोच्च गैर खदान के 500 मीटर की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
10. परिसिध्दिविहीन/जैवविधिवल संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजान, अन्धधान्य, कंठीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्टिकली पीस्यूटेड एरिया, परिसिध्दिविहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविधिवल क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 736 मीटर, न्यूनतम 682 मीटर तथा खानन स्थल की लंबाई - अधिकतम 282 मीटर, न्यूनतम 277 मीटर एवं खानन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 178 मीटर, न्यूनतम 174 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 134 मीटर, न्यूनतम 113 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 से 4 मीटर तथा रेत खानन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंगल रेत की मात्रा - 88,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनि निरीक्षण से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.28 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु 25 मीटर गुण 25 मीटर के चिह्न बिन्दुओं पर दिनांक 20/12/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरंत फोटोग्रामस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरोक्त विनियानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52.10	2%	1.04	Following activities at Nearby, Village- Donar	
			Plantation in Village pond	1.205
			Total	1.205

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत लागत पर (जलपुन, पीपल, नीम, आम, कदम आदि) कुशरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 वर्ग पीछों के लिए रशि 8,500 रुपये, फेंसिंग के लिए रशि 80,000 रुपये, खाद के लिए रशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए रशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रकल्प वर्ष में कुल रशि 77,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु कुल रशि 43,000 रुपये हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दान पंचायत के सहमति उपरोक्त पंचायत स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. कुशरोपण कार्य – नदी तट पर (जलपुन, जलपुन, आम, कदम, कटहल एवं इमली) कुशरोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 वर्ग पीछों के लिए रशि 80,000 रुपये, फेंसिंग के लिए रशि 88,000 रुपये, खाद के लिए रशि 13,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए रशि 38,000 रुपये, इस प्रकार कुल रशि 2,27,000 रुपये प्रकल्प वर्ष में एवं कुल रशि 1,88,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के तट में कुशरोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की सीमा (Flood Level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे कुशरोपण (River Bank) किया जाए।

समिति द्वारा तत्काल सर्वसम्मति से विनियानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. वनसम्पत्तिकाशी, पत्तारी से एवं उपसंचालक, जलती सीताबदी से अनपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत लागत पर किये जाने वाले कुशरोपण हेतु दान पंचायत के सहमति उपरोक्त पंचायत स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जलतीसगढ़ जलती पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सचय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का सचय पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदल से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लक्षित नहीं है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का मोटरी में सत्यापित सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परस्पर का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त बतवित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी., उत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 15/03/2023 के परिषद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

समिति द्वारा माली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यलय चयन निर्देशक, उत्तरी सीतागढ़ी टाउनशिप रिजर्व, जिला-परियावर के द्वारा क्रमांक/मा.वि./जी./4508 परियावर, दिनांक 08/09/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र उत्तरी सीतागढ़ी टाउनशिप रिजर्व से 85 कि.मी. की दूरी पर है।
2. कार्यलय वनस्पतलक्षिकारी, जगतरी वनस्पतल, जगतरी के द्वारा क्रमांक/मा.वि./जी./2543 जगतरी, दिनांक 08/09/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 4.19 कि.मी. की दूरी पर है।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर किये जाने वाले कुआरोपन हेतु ग्राम पंचायत की सहमति उपरान्त पंचायत स्थान (खसरा क्रमांक 1882, क्षेत्रफल 0.58 हेक्टेयर) तथा महानदी तट पर खसरा क्रमांक 2154, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में कुआरोपन किया जाएगा।
4. उत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आदेश का सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई परस्पर का प्रकरण लंबित नहीं है।
7. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में कुआरोपन कार्य के नॉनितरिफ एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जेफ्टाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में कुआरोपन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरई का कार्य लौडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लौडर जैसे यंत्र यादी कड़न की कंपनी के है।

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

अतः नहरों का कार्य वैकल्पिक विधि से ही कराई जावे। नहरों नहरों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

3. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मानी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तलछटी जोड़कों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इनके वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई के अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. अनुमोदित खदान (ग्राम-दोनाड़) का लम्बा 4.85 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. परिशोधन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत मात्र अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधा नहीं आसके, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
3. लीज क्षेत्र की सतह का रेसल्टाईन बाटा —
 - a. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड को प्रस्तुत किये जावें।
 - b. फेब्रु-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विभिन्न बिन्दुओं में सर्वेक्षण लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के उपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी जोड़) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर किया जावेगा।
 - c. इसी प्रकार रेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - d. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेब्रु-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं मी-मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक क्रमिक रूप से एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीकण्ड को प्रस्तुत किए जावेंगे।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्बन्धि से मेसर्स दोनर सेक्टर माईन (जे-बी डेवकॉट पटेल), काराड क्रमांक 2774, ग्राम-दोनाड़, तहसील व जिला-धनसरी, कुल लीज क्षेत्रफल 4.85 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु रेत क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की शर्तों से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु नदिनिष्ठ-04 में वर्णित शर्तों के अंतिम विषय होने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिका द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में नहरों नहरों का प्रवेश

प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में खोद रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) की लोडिंग पाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स ऑर सैंड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार खदाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रियाएं (एच.ई.आई.ए.ए.) प्रतीकण्ड को तदनुसार सुधित किया जाए।

4. मेसर्स नकटी खपरी लाईम स्टोन कार्बी (प्री- श्री लक्ष्मण आहुजा) ग्राम-नकटी खपरी, लहरील-तिल्वा, जिला-राजपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 2084)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एचआईए/ सीजी/ एचआईए/ 278033/2022, दिनांक 02/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संबंधित कुच पत्थर (गीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नकटी खपरी, लहरील-तिल्वा, जिला-राजपुर स्थित प्लॉट ऑफ़ खसरा क्रमांक 290/18, कुल क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता - 8,120 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी, प्रतीकण्ड को ज्ञापन दिनांक 20/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/08/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मण आहुजा, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष पाई गई:-

1. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्ण में कुच पत्थर खदान खसरा क्रमांक 290/18, कुल क्षेत्रफल-1 एकड़ (0.404 हेक्टेयर), क्षमता-8,120 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण स्नापात निर्धारण प्रक्रिया, जिला-राजपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24/08/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।

परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control,



however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

पर्यावरण अधिष्ठापना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षा जारी दिनांक से दिनांक 23/08/2023 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोद्योगा सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबन्धन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - aa. निर्धारित शर्तानुसार कुशलतापूर्वक नहीं किया गया है।
 - ab. विगत वर्षों में किये गये परामर्श की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये परामर्श की प्रस्तावित जानकारी प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिष्ठापनी, जिला-रायपुर को दिनांक 28/09/2022 को आवेदन किया गया है।
2. धान संवर्धन का अनधिकृत प्रमाण पत्र - परामर्श के संबंध में धान संवर्धन जलसौ को दिनांक 25/07/2012 का अनधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 3. परामर्श योजना - कच्ची प्लान एण्ड कच्ची क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम संचालक (खनि.प्रसा.), जिला-रायपुर को पृ. क्रमांक 3153(2)/ख. लि./तीन-8/घ.म. 42/2013 रायपुर, दिनांक 01/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 1853/ख.लि./तीन-8/2023 रायपुर, दिनांक 02/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.88 हेक्टेयर है।
 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज संधार), जिला-रायपुर के द्वारा क्रमांक 2114/ख.लि./तीन-8/2023 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मण्डप, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, बांध एवं जल आपूर्ति आदि अतिरिक्त क्षेत्र स्थित नहीं है। तालाब एवं हाईटेंशन लाईन 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
 6. लीज का विवरण - लीज की आलोक शर्तों के नाम पर लीज लीज बीड 10 वर्षों अवधि दिनांक 18/02/2014 से 17/02/2024 तक की अवधि हेतु किया है। लीज का इस्तेमाल दिनांक 24/11/2018 को श्री जयशंकर आहुजा के नाम पर किया गया है।
 7. भू-स्वामित्व - भूमि खतम क्रमांक 200/18 बीसीटी रायपुर आहुजा के नाम पर है। परामर्श हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनाधिकृत इनाम पत्र - कार्यालय वन सफायाधिकारी, वन सफाया, जिला-रायपुर के द्वारा अनाधिकृत/रा.स.अ./रा/1187 रायपुर दिनांक 01/08/2023 से जारी इनाम पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-नकदी 500 मीटर, स्कूल घाट-तन्दावा 5.3 कि.मी. एवं अत्यांतल बैकूठ 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28.8 कि.मी. दूर है। साकन नदी 18 कि.मी. एवं सिन्नाह नदी 29 कि.मी. दूर है।
11. परिसंरक्षित/जैववैविध्यता संरक्षणीय क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित इतिहासी पॉल्यूटेड एरिया, परिसंरक्षित/जैववैविध्यता संरक्षणीय क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन सामग्री एवं खनन का विवरण - जियोसॉजियल रिजर्व 1,89,500 टन, माइनेबल रिजर्व 89,500 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 89,525 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खोपन कार्य सभी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। ओवर बॉटम (गुरुत्व) की मोटाई 2 मीटर एवं माफा 3,850 घनमीटर है। बीच की अंधाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.48 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लोक हेमर से ट्रिमिंग एवं क्लरिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का मिश्रण किया जाता है।
13. प्रस्तुत अनुबंधित क्वारी प्लान में वर्षवार प्रस्तावित मुरुम उत्खनन का उल्लेख है एवं 10 वर्षों तक औसत वृत्त पत्थर उत्खनन क्षमता - 8,125 टन प्रतिवर्ष (MCM) का उल्लेख है परंतु वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना का विवरण उल्लेखित नहीं है। अतः समिति का मत है कि वर्षवार प्रस्तावित वृत्त पत्थर उत्खनन योजना का विवरण क्वारी प्लान में उल्लेख कर्तों दृष्टे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। प्रस्तुत/उत्खनन के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेंट्रल घाटस्थ बीटर अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. कुआरोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 288 नम कुआरोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुआरोपण हेतु चौड़ी, बसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा पक्का-रस्ता के लिए 5 वर्षों का पर्यवेक्षण व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत

नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत (आंगण, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति प्राप्त कर्मचारी स्थान (असहज विद्युत सहित) में कूड़ा-रखाव हेतु पीपी, कंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में ओवर बर्डन (मुसम) की चौड़ाई 2 मीटर एवं मात्र 1,800 घनमीटर की स्थान अधिकारी के अनुमति प्राप्त विज्ञापन दिखे जाने का उल्लेख है। इस संबंध में समिति का मत है कि उचित ओवर बर्डन (मुसम) को विज्ञापन नहीं किया जाएगा।
19. क्वारी मिट्टी को संशोधित कर संशोधित रखे जाने हेतु, मुसम का दुरुपयोग न करने, विज्ञापन न करने एवं अन्य क्वारी में उपयोग नहीं किया जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्गतन हेतु किया जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. क्वारी मिट्टी (मुसम) की लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई तक रखने उपरान्त सीमा क्वारी मिट्टी (मुसम) की लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि जमात क्रमांक 280/19 तथा 2807 हेक्टर में 1 मीटर की ऊंचाई तक संशोधित कर संशोधित रखे जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. क्वारी स्थापित कर कार्य विस्तारक लाईवेल वास्तु द्वारा कराये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तालमय सर्वकारीय से निम्नानुसार निर्देश किया गया था—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा राज्य अटल नगर से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम निर्धारित शर्तानुसार कूड़ा-रखाव काले हुए पीपी में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपी के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोवास्तु सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षों में किये गये रखरखाव की अद्यतन जानकारी सहित विवरण से प्रमाणित कताबन प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्षवार प्रस्तावित भूमा पत्थर रखरखाव योजना का विवरण क्वारी प्लान में उल्लेख काले हुए प्रस्तुत किया जाए।
5. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल राज्य बौद्ध अधीनस्थ की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र की सीमा में क्वारी क्षेत्र 7.5 मीटर की पट्टी में कूड़ा-रखाव हेतु पीपी, कंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंगण, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति प्राप्त कर्मचारी स्थान (असहज विद्युत सहित) में कूड़ा-रखाव हेतु पीपी, कंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा

में पूर्ण में जारी पर्यावरण स्वीकृति के बालक प्रतिबंध हेतु अतीरणाग्र पर्यावरण संरक्षण संकलन से लेखा किया जाना आवश्यक है।

- पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुक्रम निर्धारित शर्तानुसार कुआरेशन कन्सी हूए पीसी में संशोधन (Mudbanking) एवं पीसी के नाम का परीक्षण किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का उत्तर है कि खदान कार्य होने के 6 माह के भीतर कुआरेशन कन्सी फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा।
- सर्वांगीण उत्खनन (खनिज संधार), जिला-रायपुर के अधिन 407/खनि. /प.क./2023 रायपुर, दिनांक 08/03/2023 द्वारा विनय वर्मा ने विनय गो उल्लेखन की जानकारी निम्नानुसार है-

क्र.	वर्ष	उत्खनन (टन)
1	01/04/2017 से 31/03/2018	2,794
2	01/04/2018 से 31/03/2019	7,828
3	01/04/2019 से 31/03/2020	6,447
4	01/04/2020 से 31/03/2021	4,668
5	01/04/2021 से 31/03/2022	3,902

- सर्वेक्षण प्रस्तावित पुनः खनन उत्खनन योजना का विवरण जारी प्लान में उल्लेख कन्सी हूए प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति क्षेत्रीय के माध्यम से की जाती है। इस संबंध में जल संचयन कीटन अर्थोपेटी की अनुमति प्राप्त कन् प्रस्तुत किया गया है।
- लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 288 नम कुआरेशन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीसी के लिए प्रति 21,000 रुपये, बरिसिंग के लिए प्रति 87,200 रुपये, खान के लिए प्रति 2,150 रुपये, सिंचाई के लिए प्रति 1,25,000 रुपये एवं नक-पखाव आदि के लिए प्रति 1,58,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में प्रति 3,87,348 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 8,73,688 हेतु खननकार नाम का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at nearby, Village-Jahho	
			Pavitra Van	12.42
			Nirman	12.42
			Total	12.42

सी.ई.आर. की अंतर्गत "परिष्कृत इन निर्माण" के तहत (आंगणवाडी, बस, पीपल, मीन, आंग, कलेज, जामुन, अस्पताल, कचरा आदि) कुआरेशन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्युति के शर्तों के प्राप्ति में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर के प्राप्ति प्री-वेन ड्राफ्ट होने के उपरांत प्रस्तुत किये जाने वाले अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्युति के शर्तों के प्राप्ति में की गई कार्यवाही की स्व-प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एमईएसी, छत्तीसगढ़ के डायन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संघर्ष में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उपानुसार कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीक्युति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित सतानुसार कुशासेन काले हुर पीथ में संयोजन (Zonabonding) एवं पीथ के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोसमूह सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खदान प्राप्ति होने के 6 माह के भीतर कुशासेन वन फोटोसमूह सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. सर्वेक्षक प्रस्तावित घुस पत्थर उत्खनन योजना का विवरण क्वारी प्लान में उल्लेख काले रूपे प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,388	चतुर्थ	1,760
द्वितीय	2,187.5	पंचम	1,760
तृतीय	2,187.5	अष्टम	1,862.5
षष्ठ	1,875	नवम	1,862.5
सप्तम	1,875		

4. माननीय एन.डी.डी., डिप्टी सचिव, नई दिल्ली द्वारा सलैण्ड पारथेव विस्वादा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिएण्टल एनवायरनमेंट नं. 188 डीक 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-रायपुर के डायन क्रमांक 1883/ख. ति./तीन-8/2022 रायपुर, दिनांक 02/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.88 हेक्टेयर है। आवेदित

खदान (घान-नकटी खपरी) का क्षेत्रफल 0.404 हेक्टर है। इस प्रकार आवंटित खदान (घान-नकटी खपरी) को मिलाकर क्षेत्रफल 2.204 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर या उससे कम होने के काल पर खदान बी-2 श्रेणी की शर्तें लगीं।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार कृषाधीन करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का चलेख किया जाकर फोटोघाना सहित जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए. प्रतीसंग्रह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुसंधान की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से आवेदन - मेसर्स नकटी खपरी लाईन स्टोन क्वारी (प्री- बी एचएच आइएल) को घान-नकटी खपरी, तहसील-तिलवा, जिला-रायपुर के पार्ट ऑफ खदान क्रमांक 200/18 में स्थित कृषा पत्थर (नीम खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.404 हेक्टर, क्षमता-2.187 टन प्रतिवर्ष हेतु पंक्ति-08 में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुसंधान की गई। साथ ही यह अनुसंधान प्रक्रिया में एस.ई.ए.ए. प्रतीसंग्रह के ज्ञान क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिच्छेद में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर जारी अनुसार प्रभावित होगी।

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), प्रतीसंग्रह को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स चिन्दगांव लाईन स्टोन क्वारी (प्री- बी ओकर सिंह), घान-चिन्दगांव, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (सचिवालय का नक्सा क्रमांक 1882)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नंबर- एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 244483/ 2021, दिनांक 23/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमिटी होने से ज्ञान क्रमांक दिनांक 01/01/2022 एवं दिनांक 27/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्णित जानकारी क्रमांक दिनांक 17/08/2022 एवं दिनांक 08/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

क्षमता का विवरण - यह प्रस्तावित कृषा पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान घान-चिन्दगांव, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर स्थित खदान क्रमांक 1043/1, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 1044/3 एवं 1044/4, कुल क्षेत्रफल-2.142 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित जलक्षम क्षमता-82,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.ए. प्रतीसंग्रह के ज्ञान दिनांक 28/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठकों का विवरण -

(अ) समिति की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु बी ओकर सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्सा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दिनांक-2 का दिनांक 03/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र में क्रमांक क्रमांक 1043/2, 1043/4, 1043/5 का उल्लेख है। अतः आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरी का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. आवेदित समस्त खसरी का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र
4. उत्खनन योजना - खसरी प्लान किंग विरुद्ध सीएम आईएम फॉर फास्ट फाईव इंफ्रा एण्ड क्वार्टी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एमि अधिकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बस्तर बस्तर दरियाहा के द्वारा क्रमांक 827/खनिज/उत्ख.पौ./2021-22 दत्तवारा, दिनांक 26/10/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 2708/खनिज/ख.सि. 4/13/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निम्न है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 2708/खनिज/ख.सि.4/13/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनोवट, तालाब, रेल लाइन एवं अन्य आवेदित प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. की अधिकार मिट्टी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 1043/खनिज/ख.सि.4/08/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 09/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की फैला वृद्धि संवाहन-नाम, भीमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्र. 3498/खनि 02/उ.प.-अनु.निष्ठा./न.अ.50/2017(3) नया रायपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 07/06/2023) की अवधि हेतु किया है।
8. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 1043/5, श्री अशोक मिश्र, सीमा रेखा, श्री बालेरा एवं क्षेत्र भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - जलपरीक्षण के दौरान परियोजना प्रभावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वनमण्डलधिकारी, बस्तर में परियोजना प्रभावक द्वारा दिनांक 10/12/2021 को पत्र भेजा किया गया है। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर द्वारा वनमण्डलधिकारी, सानान्ध वन

महानगर जलदफ्तार, जिला-बस्नर को दिनांक 01/08/2022 में पत्र लेख किया गया है। परिधि का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलतक पत्र क्षेत्र की दूरी का उल्लेख काली दूरी वन विभाग का अनामित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. महात्मा पूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकलतक आबादी घान-सिन्दगांव 250 मीटर, स्कूल घान-बकावंड 8.5 कि.मी. एवं अस्पताल घान-बकावंड 8.5 कि.मी. की दूरी का विगत है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राजमार्ग 18 कि.मी. दूर है। पत्र 77 मीटर दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अजयप्रसाद, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिलरी पीएलुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र विगत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जिमोलॉजिकल रिजर्व 4,28,400 टन, माईनेबल रिजर्व 2,05,139 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,913 वर्गमीटर है। खनन काट क्षेत्रीय मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,488 घनमीटर (स्टील बीकर सहित) है, जिसमें से 5,800 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में पीलाकर पुनारोपण के लिए एवं शेष ऊपरी मिट्टी को सहजता प्राप्त भूमि (असरा क्रमांक 980/2, सख्या 0.83 हेक्टेयर) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11.5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अंतर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉकिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाएगा। वर्षार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	25,000
चतुर्थ	25,000
पंचम	52,500

14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार सेन्ट्रल प्रोवाइडर बोरोवेल की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. पुनारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 668 नए पुनारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 48,780 रुपये, पौंसिंग के लिए राशि 1,83,800 रुपये, खाद के लिए राशि 11,250 रुपये, मख-रखाव आदि के लिए राशि 2,78,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,20,630 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 8,88,082 रुपये अगामी चार वर्षों हेतु घटकवार मात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – सीज क्षेत्र की चर्च और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिषदीय प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विवरण से चर्चा उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44	2%	0.88	Following activities at	
			Pavitra Van nirman	14.73
			Total	14.73

18. सीईआर के अंतर्गत "परिषद वन निर्माण" के तहत (अंबला, बड़, पीपल, नीप, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुआरोपन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,800 वर्ग फीटों के लिए रु. 1,38,800 रुपये, बेंसिन के लिए रु. 1,33,000 रुपये, खाद के लिए रु. 13,500 रुपये, सिंचाई तथा राख-रक्षा के लिए रु. 2,88,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रु. 5,49,300 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल रु. 9,34,120 रुपये हेतु पर्याप्त राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सीईआर के तहत परिषद वन हेतु घान संरक्षित सिंचाई 2 के सहायता उपरोक्त उदासीय स्थान (खसरा क्रमांक 1008, क्षेत्रफल 5 एकड़) को संरक्षित में आनकारी प्रस्तुत की गई है।
19. ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (साईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फीलडन कुआरोपन किये जाने के उपरोक्त क्षेत्र ऊपरी मिट्टी को सहायता प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 990/2, सन्धा 0.83 हेक्टेयर) में संरक्षित कर संरक्षित किये जाने बाबत राशि पर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को सीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्य उपयोग न करने, डिग्न न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःप्राप्त में किये जाने बाबत राशि पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. कंट्रोल डेवेलपिंग किये जाने बाबत राशि पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. सहायता प्राप्त आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार किये जाने हेतु राशि पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. साईमिंग सीज क्षेत्र के अंदर खदान कुआरोपन किये जाने एवं रोपित पौधों का सन्धाईयत रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत राशि पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परिषदीय प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत राशि पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा वाच्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिशोधना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा वाच्य पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसकी विरुद्ध भारत सरकार, पश्चिम बंगाल और जलधनु परिशोधन मंत्रालय की अधिनियम का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 से अंतर्गत कोई एल्लोपन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र एवं नाले की बीच कृषारोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरी का उल्लेख करती हुई डाम पंचायत का अनारथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र से निकलकर बंग क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करती हुई डाम विभाग का अनारथित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अधिनियम (अनारथित/प्रस्तावित) प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

सदानुसार एस.ई.ए.सी., उत्तीरगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/01/2023 से परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/05/2023 को जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 472वीं बैठक दिनांक 27/08/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. आवेदित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरी का उल्लेख करती हुई डाम पंचायत का अनारथित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. उत्तीरगढ़ बंग नगरपालिका, बंगनगर बजार, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/स. त.अ./1000 जगदलपुर, दिनांक 08/08/2023 से जारी अनारथित प्रमाण पत्र अनुसार "आवेदित क्षेत्र में प्रजाति आम-2 नग, कटहल-1 नग एवं हेन्दू-1 नग कुल स्थित है। आवेदित भूमि संबंधित कन्सेज की दूरी 0.729 कि.मी. है।" उल्लेख है।
3. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्ड अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. एल.ओ.आई. की फैला बुद्धि संचालनालय, पौखरी तथा खनिज, नया रावपुर उदाल नगर के ज्ञापन दिनांक 22/08/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी फैला + वर्ग (अर्थात् दिनांक 07/08/2023) की अवधि हेतु फस की। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की फैला बुद्धि संबंधी प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. अपेक्षित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरी का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्डर अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत किया जाए।
3. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरोक्त आगामी कार्रवाई की जाएगी।

उपानुसार एन.ओ.आई., जलसिमाई के ज्ञापन दिनांक 29/08/2023 के परिपत्र में परिभाषित प्रस्तावक द्वारा द्वारा दिनांक 13/09/2023 की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 40वीं बैठक दिनांक 12/10/2023

समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. अपेक्षित प्रकरण में उल्लेखित समस्त खसरी का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत सिन्धगांव-2 का अनामतित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल वाटरवर्क बोर्डर अथॉरिटी की अनुमति प्रस्तुत किया गया है।
3. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग कार्ड के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु कि-सदस्यीय समिति (जोबसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसिमाई पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) नष्टित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्ड पूर्ण किये जाने के उपरोक्त उचित कि-सदस्यीय समिति से सत्यापित करवा जाना आवश्यक है।
5. भारतीय एन.ओ.टी., डिप्लोमेट बिल्डिंग, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पारंपरिक विस्फोट प्रभाव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अमेरिकाजल वुडिलेसन नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पठित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा निम्न उक्त उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. कार्यलय क्लस्टर (खनिज साखड़) जगदलपुर, जिला-बलार के ज्ञापन क्रमांक 2708/खनिज/ख.सि.4/13/2020-21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/12/2021 के अनुसार अपेक्षित खदान से 500 मीटर की भीतर अवधिगत खदानों की संख्या निरंक है। अपेक्षित खदान (ग्राम-सिन्धगांव) का क्षेत्रफल 2.142 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में

Handwritten signature and initials

संयुक्त/संघनित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-3 श्रेणी की नहीं गयी।

2. एल.जी.आई. की फैला वृद्धि संबंधी प्रस्तावों को एम.ई.आई.ए.ए. उत्तीर्णपत्र में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त को अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में अनुशंसित की जाती है।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति के अंतर्गत - मैदान सिन्धुवाड लाईन स्टोन क्वारी (सी-1 की अधिक विस्तार) को राम-सिन्धुवाड, तहसील-बलानगर, जिला-बलार के खसरा क्रमांक 1043/1, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 1044/2 एवं 1044/4 में स्थित चूना पत्थर (पीपल खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.142 हेक्टेयर, क्षमता-62,500 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-08 में वर्णित शर्तों को अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रक्रिकरण (एम.ई.आई.ए.ए.) उत्तीर्णपत्र को तदनुसार सुधारा किया जाए।

6. मैदान नॉन फोसिल फ़्यूल लिमिटेड, राम-बलानगर, तहसील-सिन्धु, जिला-रायपुर (सचिवालय का पता क्रमांक 1064)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एम.आई.ए./ सीजी/ आईएनसी/ 61666/ 2021, दिनांक 11/03/2021 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन में प्रयोजन नम्बर - एम.आई.ए./ सीजी/ आईएनसी/ 407080/2022, दिनांक 26/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आईएनसी.ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा राम-बलानगर, तहसील-सिन्धु, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 505/1, 505/2, 506, 507, 508/1, 508/2, 510/1 एवं 510/3, कुल क्षेत्रफल - 4.123 हेक्टेयर में प्रस्तावित स्पॉट खदान प्लांट (सीआईआई क्लिफ 100 टीपीसी x 1 मग) क्षमता - 62,700 टन प्रतिवर्ष, इन्फ्रस्ट्रक्चर फर्निचर किंग डीपरीएन (एमएस इन्फ्रास्ट्र./किलेट्स) (10 टन x 3 मग) क्षमता - 69,000 टन प्रतिवर्ष, सेंट्रियल पीपर प्लांट (सिस्ट हीट रिजर्वरी बीवल्ड) - 4.5 मेगावाट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना हेतु विनिर्देश का कुल लागत 70 करोड़ होगा।

एम.ई.ए.सी. उत्तीर्णपत्र के प्रापन क्रमांक 600, दिनांक 26/08/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड एन्स ऑफ रिजर्विस (टीआईआर) और ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लीयरेन्स अफ्टर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित शर्तों 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीआईआर (लोक सुगवाई सहित) मेटालर्जिकल इन्फ्रस्ट्रक्चर (फैक्ट एन्ड नॉन-फैक्ट) हेतु जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.आई.ए.सी. उत्तीर्णपत्र के प्रापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधारा किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु की समस्त आवश्यक चीजें/जो एवं पर्यावरण सहायकार के रूप में मेसर्स एनसीएन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, वागपुर की ओर से की सीकाल की व्यवस्था उपस्थित है। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. निकटतम स्थित शिक्षणस्थलों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आवासीय घाग-पलाछा 1.1 कि.मी. एवं कलर रावपुर 26 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन तिलवा 3.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्थानीय विवेकानंद विमानचालन, वाग, रावपुर 40.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.67 कि.मी. दूर है। बिलाही मुख्य अस्पताल वन 1.8 कि.मी. एवं बिलाही अस्पताल वन 1.2 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्तराज्य, केन्द्रीय प्रमुख निकटतम बौद्ध द्वारा प्रेषित क्रिटिकली पोन्सुटेड क्षेत्र, परिसिधित्तीय संवेदनशील क्षेत्र वा प्रेषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भू-स्वामित्व - पूर्व में भूमि मेसर्स नंदन घाली फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के पास पर था। परिसीलन प्रभावक द्वारा बताया गया कि भूमि संबंधी दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवाकर मेसर्स नंदन फाइबर प्राइवेट लिमिटेड से भूमि संबंधी दस्तावेज जारी किया गया है। समिति का मत है कि भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट -

S.No.	Land use	Proposed Area (In Ha.)	Area (%)
1.	Bulldup Area	0.651	20.64
2.	Road and paved Area	0.33	5.58
3.	Green Belt	1.65	40.02
4.	Open Area	1.31	31.77
5.	Reservoir	0.054	1.31
6.	Parking	0.028	0.68
Total		4.123	100

4. रॉ-मटेरियल -

Raw Material requirement for Induction Furnace Division				
S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode Of Transportation
A For Sponge Iron Plant				
i.	Iron Ore	1,00,320	Odisha Iron Ore Mine & NMDC	By rail and road (through covered trucks)
ii.	Coal	84,050	SECL Coal Mines	
iii.	Lime Stone / Dolomite	3,135	Open market	By road through covered trucks
iv.	Refractory Material	800	Open market	By road through covered trucks
B For Steel Melting Shop				
i.	Sponge Iron	99,000	Captive production	Internally available /

			area
4.	Defective Billets	2,080	Used as melting in own plant/Sold outside Rolling mills
5.	Mill Scale	990	Used in Ferro Alloys as raw material/ sold to Ferro Alloys / Pellet Plants
6.	Slag from Induction furnace	12,127	Used in metal recovery units own/outside. Grinded slag will be used in Brick manufacturing unit
7.	Refractory & Ramming Mass Waste	248	Given to refractory recycling units / used in Fly ash brick making unit / landfill
8.	STP Sludge	08	Used for Composting and then applied for Green Belt

g. इतराक्षत (Hazardous) अवशिष्ट उत्पादन व्यवस्था—

Type of Hazardous Waste	H. W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste Oil/Used Oil	5.1	2 KL/annum	Will be given to authorized recycler having authorization from competent authority.
ETP Sludge	35.3	25 TPA	Given to Cement Plants or used in Brick making. The sludge will not have any Toxic Chemicals. Mostly will be Calcium, Magnesium, Silica Hardness Salts and Iron Oxide.

h. जल प्रयोग व्यवस्था —

- जल खपत एवं बर्बाद — परियोजना हेतु कुल 310 घनमीटर प्रतिदिन (संयंत्र आवरण हेतु 80 घनमीटर प्रतिदिन, एमएस सिस्टम हेतु 85 घनमीटर प्रतिदिन, केंद्रिय पीलर प्लांट हेतु 125 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, गार्डनिंग एवं सिंक्रलिंग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की अनुमति न्यू-जल से की जाएगी। न्यू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल चार्लम्ब वीटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था — केंद्रिय पीलर प्लांट से 18 घनमीटर प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसके उपचार हेतु 78 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का इ.टी.पी. / म्यूट्रिजलईजेशन टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को अस्ट स्टोरेज एवं एस/स्लैज कोलिंग में उपयोग किया जाएगा। संयंत्र आवरण, इन्फ्रस्ट्रक्चर फर्निचर आदि इतराक्षतों से बहता हुआ दूषित जल को रोक कर पुनः बहता हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एम्प्लीफीड लक्ष्मीक अस्थापित सीवेज

ट्रीटमेंट प्लांट समता 10 घनमीटर प्रतिदिन की क्षमता प्रस्तावित है। शुष्क निस्काशन की विधि स्वीकार की जाएगी।

- सू-जल उपयोग इकाय – परिवर्जित स्थल सेंट्रल टाउन्स काटर बोर्ड के अनुसार रोक जॉन में आता है। विवरण अनुसार-

(अ) सू-जल एवं न्यूनतम जलों की कम से कम 40 प्रतिशत शुद्धि जल का पुन-उपयोग एवं पुन-उपयोग किया जाना है।

(ब) टाउन्स काटर रिचार्ज हेतु अपनवाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्बिसिंग / ऑटिफिकेशन जल रिचार्ज के अभाव पर सू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल टाउन्स काटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रस्ताव है। जल उपयोग की रेनवाटर हार्बिसिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

10. प्रस्तावित इकाई हेतु प्रदूषण भार की गणना संबंधी विवरण –

Stack Emissions details of all stacks (CONTROLLED)				
Stack attached to	Height	PM (TPA)	SO ₂ (TPA)	NO _x (TPA)
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	2.57	-	-
Sponge iron plant 62700 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	17.11	171.07	57.02
DG sets 2x150 KVA	15	0.57	0.03	11.40
(UNCONTROLLED)				
Induction (99,000 TPA) 1 stack	33	262.3	-	-
Sponge iron plant 62700 TPA (190 TPD x 1) 1 stack	57	1,676.51	-	-
DG sets 2x150 KVA	15	66.43	-	-

11. रैन वॉटर हार्बिसिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 17,404 घनमीटर प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित रैन वॉटर हार्बिसिंग व्यवस्था की अवधि 5 मम रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रैन वॉटर हार्बिसिंग व्यवस्था परभाव परिसर के पूर्व रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें स्थाय मात्रा में वर्षा जल का संचय हो सके।

12. विद्युत आपूर्ति स्रोत – परिवर्जित हेतु 11 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है, जिसमें से 4.5 मेगावॉट कोरिया वीकल प्लांट से एवं शेष 6.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति भारतीय राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 मम 550 किलो.ए. क्षमता का डी.डी. सेट स्थापित किया जाएगा।

13. दूषारोपण संबंधी जानकारी – प्रति घण्टिका के विकल्प हेतु कुल क्षेत्रफल को 1.65 हेक्टेयर (43.02 प्रतिशत) क्षेत्र में 4,125 मम चौड़े संमित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर दूषारोपण हेतु पीसी, पेंटिंग, लाय एवं सिंभाई तथा रक्त-रक्त के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन पर के अभाव पर) का घटकवार समय का विकल्प विद्युत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. ई.आई.ए. रिपोर्ट का निरूपण-

i. जल एवं वायु अदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – वॉलेंटैरि कर्न रिपोर्ट 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किया गया है। साथ ही 18 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 के मध्य अतिरिक्त 1 मह मा वॉलेंटैरि कर्न किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर अग्नि स्तर मापन, 7 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के मनुने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. ई.आई.ए. मंडली के परिचारी के अनुसार पीएम, एकाई, एनडी, का सामान्य लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	17.5	35.8	60
PM _{2.5}	49.9	82.5	100
SO ₂	5.8	12.2	60
NO ₂	7.8	28.8	60

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दलाई गये टेबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य पर्यावरिक तत्वों का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय अग्नि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	46.1	60.8	75
Night L _{eq}	37.2	52.5	70

जो जल शीत के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की समझ- भारी वाहनों / माल्टीपलस डीसी वाहनों की समष्टि करते हुए दृष्टिक अद्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 7948 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 4135 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्परचा कुल 8,337.8 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की/मी अनुपात (AVT ratio) 0.58 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-स्टैटिडल / प्रोजेक्ट्स से परियोजना सेवु सड़क मार्ग की लंबाई करीब समता निर्धारित मानक (Very Good) के नीचे है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 01/04/2022 दोपहर 02:00 बजे स्थान - काम मंडावत परचवा, तहसील-तिल्वा, जिला-रायपुर में संघन हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित कटस्य सचिव, जलसिमाण्ड पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल मगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 25/03/2022 द्वारा अहित किया गया है।

16. प्रस्तुतिकरण के दौरान समिति द्वारा नोट किया गया कि जन सुनवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा इस प्रयोजन की स्थापना का विरोध किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनकी निराकरण की दिशा में किने जाने वाले प्रयास के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य

के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. सीमेंट कार्पोरेशन एक्टिविटी (C.E.R.A.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
7000	2%	140	Following activities at nearby, Village-Shursuda, Parsada, Belari & Jota	
			Eco Park Cum Oeyzone	140
			Total	140

सी.ई.आर. के अंतर्गत "टूको पार्क कन ऑपरिजेशन" (आंबला, बड़ पीपल, चीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु चार घातों क्या परसदा, जोरा, भुरसुवा एवं बेलारी के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 मग पौधों के लिए प्रति 3,00,000 रुपये, कांसल के लिए प्रति 1,04,200 रुपये, खाद के लिए प्रति 50,000 रुपये, सीमेंट पेपर के लिए प्रति 1,00,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रकान आदि के लिए प्रति 9,40,000 रुपये, इस प्रकार प्रपत्र वर्ष में कुल प्रति 18,04,200 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 18,08,000 रुपये हेतु (प्रति 35,00,200 रुपये प्रति घात) परिसर का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अतः चार घातों हेतु कुल प्रति 1,40,00,800 रुपये काम किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घात संभावित जोरा, भुरसुवा एवं बेलारी के संभावित पर्यावरण स्याम (सिंकल 0.4 हेक्टेयर प्रति घात) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। घात के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा घात संभावित परसदा के सहयोग पर्यावरण स्याम (खसरा एवं डोकलल सहित) एवं पर्यावरण स्याम के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति का मत है कि निकटतम आवादी घात-परसदा 1.1 कि.मी. तक कांसीट रोड बनाये जाने बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. संबंधित घात संभावित का अन्वयति प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाए।
3. निकटतम आवादी घात-परसदा 1.1 कि.मी. तक कांसीट रोड बनाये जाने बाबत अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. विनिर्देश की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।

6. उद्योग परिवहन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हेतु पीपी, पीसिए, कार्ड एवं सिंचाई तथा रकम-स्वास्थ्य के लिए 6 वर्षों (60 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का पर्याप्त व्यवसाय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डिग्री की ऊंचाई नगण्य सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित परियोजना के सी-एस्टिमेट / बीडबुद्धि के परिचयन से पीपीए में वृद्धि होने से परिधीय वायु गुणवत्ता (पीएम, एनओ_x, एवं एनओ_y) की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा नोट किया गया कि उन सुनवाई में स्थानीय निवासियों द्वारा इस उद्योग की स्थापना का विरोध किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जोस सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सावनीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (attached form in English) में एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सावनीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (attached form in Hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम पंचायत समिति के सहमति समतल व्यवसाय स्थान (खमरा एवं डोजबल सहित) एवं इन्ड्रोक नामवार (जोता, मुस्मुदा एवं बेलासी) खमरा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खमरा (खमरा, जोता, मुस्मुदा एवं बेलासी) सी.ई.आर. कार्ड का विस्तृत प्रस्तुत रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त सहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत जानकारी कार्रवाई की जाएगी।

उदानुसार एम.ई.ए.सी., प्रतीनगढ़ के डायन दिनांक 22/02/2023 के परिधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/03/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 403वीं बैठक दिनांक 10/06/2023:

समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनपेक्षित प्रभाव नष्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार "परियोजना में स्थापना का कार्य ग्राम पंचायत से एनओसी प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जायेगा। किन्तु ग्राम पंचायत की एनओसी के परियोजना में स्थापना एवं निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा।" का उल्लेख है।

साथ ही परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पर्यावरण प्रतिक्रिया पत्र से परियोजना की स्थापना संभव नहीं है अतित् स्थापना हेतु ग्र.प. पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति भी आवश्यक है एवं इस स्थापना सम्मति हेतु ग्राम पंचायत की एनओसी एक अनिवार्य अर्थात् है, तदैव किन्तु ग्राम पंचायत की एनओसी के स्थापना सम्मति भी प्राप्त नहीं हो सकती तदैव परियोजना की स्थापना का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है।

अतः सार्वजनिक पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना में संबंधित सामंजस्य का अनुचित प्रमाण यह प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- भूमि मेसर्स नंदन स्मैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस हेतु भूमि संबंधी की-1 प्रस्तुत किया गया है। भूमि को मेसर्स नंदन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर परिवर्तन किया गया है, इस नामांतरण आदेश हेतु "उत्तराखण्ड अनुसूचित पत्र" प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भूमि कायमतीन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस अवधि का समय पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि "परियोजना की स्थापना के साथ ही परियोजना के पट्टे के अंतर्गत सड़क रोड के परसरा गांव तक अवधि 1 कि.मी. की (जिसके कुछ परियोजना स्थल भी प्रस्तावित है) को 8 मीटर की ऊंचाई की रोड कायमती द्वारा बनाया जायेगा तथा प्रस्तावित रोड-खाता भी किया जायेगा। यह कार्य पर्यावरण स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के तहत स्थापना सम्मति स्वीकृति को प्राप्त करने के लिए किया जायेगा तथा संश्लेषण सम्मति के पूर्व रोड का निर्माण को पूर्ण कर लिया जायेगा।"
- वित्तियोग की कुल लागत का डेटा-अम प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार-

Particulars	Amount (In lakh Rs.)
Land and Site development	500
Building and Civil	1,100
Plant and Machinery	4,800
Misc. Fixed Assets	150
Electrical Installation	350
Pre and Pre Operative	150
Contingencies	150
Total	7,000

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीव वेस्ट को दफाते हुए जै-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है। परंतु राष्ट्रीय परिहार के नीचे पुनर्स्थापना हेतु पीपी, पीपिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रक्ष-रक्षण के लिए 5 वर्षी (50 प्रतिशत जीवन दर के अद्यतन पर) का पर्याप्त व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु चिमनी की ऊंचाई गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार चिमनी की ऊंचाई की गणना स्पंज आवरण किलन में लगने वाले कोयले (94,000 टन प्रतिवर्ष के आधार पर) तथा उसमें संबंधित सामान (0.5 प्रतिशत) की मात्रा के अद्यतन पर करने जाने के कारण प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 57 मीटर रखी गई है। इसके अतिरिक्त इन्धनधारण धर्म में किसी प्रकार के ध्वन का उपयोग न होने के कारण नियमानुसार 33 मीटर ऊंचाई की चिमनी पर्याप्त है।
- स्पंज आवरण में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 17.11 टन प्रतिवर्ष तथा इन्धनधारण धर्म में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 2.53 टन प्रतिवर्ष होगी। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना के सी-मॉडरिफिकेशन / प्रोसेसिंग के परिधान से पी.पी.यू में वृद्धि होने से परिवेष्टीय वायु गुणवत्ता (पी.

एन. एस.सी., एन. एस.सी., एन. एस.सी.) की भांति में होने वाले परिवर्तन हेतु जी.एल.सी. सड़ित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. जन सुनवाई में स्वामीय निवासियों द्वारा इस उद्योग की स्थापना का विरोध विभिन्न प्रकार से संभवित प्रदर्शनों के कारण था। अतः जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- i. उद्योग की स्थापना के वायु प्रदूषण होगा।
- ii. जल का स्तरीय एवं जल प्रदूषण होगा।
- iii. सड़कों पर आवागमन में दूषितनाई होगी।
- iv. कृषि पर प्रभाव पड़ेगा।
- v. स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।
- vi. जल तथा वायु प्रदूषण के कारण पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक है।
- vii. सी.ई.आर. के वायु प्रदूषण कर्म किया जाना चाहिए।
- viii. प्रभाविता के आधार पर संबंधित दायों के लोगों को ही योजनाएं दिए जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उदात्त गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवर्तन प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कमिटी का कथन निम्नानुसार है:-

- i. परिवर्तन में पर्यावरण प्रदूषण योजना अर्थात् ईंधनों के उद्योग लगभग 6.9 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें वायु प्रदूषण निरोधक हेतु ईंधन, बैग फिल्टर, डिस्कलॉस, फर्निचर मशीन, स्टीपिंग मशीन आदि तथा आंतरिक फर्निचर का भी प्रस्ताव है।

परिवर्तन में स्वयं आवरण फ्लांट से निकलने वाले धुएँ की गंध का उपयोग कर कन्व्यूएंस.आर.सी. के द्वारा विद्युत ब्यान्ड प्रस्तावित है। तद्वैय स्वयं आवरण फ्लांट से उत्पन्न होने वाले धुएँ का नियंत्रण होगा। तत्पश्चात् ईंधन के माध्यम से निर्धारित मात्रा तक धूलकण नियंत्रण करना प्रस्तावित है।

परिवर्तन में पार्टीकुलेट मैटर इनीशन (धूलकण उत्सर्जन) को सीमित प्रस्तावित 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के स्थान पर घटाकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर रखने का प्रस्ताव है। जिस हेतु 4 फील्ड के ईंधन तथा उच्च दक्षता के बैग फिल्टर का प्रस्ताव है। इस हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम भी प्रस्तावित है जो कि सी.ई.सी./सी.पी.सी.सी. सर्वर से जुड़ा रहेगा। तद्वैय परिवर्तन से आवरण के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रदूषण निर्धारित तथ्यों के अनुसार ही रहेगा। इस हेतु ईंधन में गंधीय घटक की गई है तथा संभावित प्रभावों के कारण हेतु फर्निचर सगनकारी उपकरणों का प्रस्ताव दिया गया है। तद्वैय परिवर्तन से आवरण के क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

- ii. परिवर्तन हेतु जल का क्षेत्र भूमिगत जल होगा। परिवर्तन स्थल केन्द्रीय भूमिगत जल प्रदूषण के अनुसार रोक जेन में आता है। केन्द्रीय भूमिगत जल प्रदूषण से विविध जनसंख्या प्राप्त की गई है तथा उसके समस्त तथ्यों का अनुपालन किया जाएगा। केन्द्रीय भूमिगत जल प्रदूषण के दिशा

निर्देशों के अनुसार रेल वाटर हावीस्टिंग किया जाएगा। परिवहन द्वारा परिवहन स्वयं तथा आसपास के क्षेत्र में सर्वोत्तम का विचार किया जाएगा, जिससे सकारात्मक परिणाम होंगे। जल का उपयोग मुख्यतः सीटलन हेतु आवश्यक होगा, जिस हेतु सर्वोत्तम सर्वोत्तम कृत्रिम सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

- ii. परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों से दुर्घटनाओं से बचाव हेतु निम्न प्रकार किन्हीं कार्य — वाहनों का रैक जांच करना होगा अनिवार्य होगा। वाहनों को समय-समय पर सुदृष्टित वाहन वाहन हेतु प्रसिद्धि एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। नवी की अवस्था में वाहन वाहन पूर्णतः प्रतिष्ठित होगा। उचित रखरखाव वाले वाहनों से प्रयोग को प्रोत्साहित की जायेगी। सभी सामान डेककर परिवहन किया जाएगा। नति नीच को नियंत्रित रखने हेतु वाहन वाहनों का समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाएगा। गाड़ियों में बैठाने एवं रैक मिल अनिवार्य होगा।
- iii. परिवहन में इंजनो के तहत पर्याप्त उपकरणों को उपलब्ध का प्रस्तावित है, जिससे परिवहन के आसपास के क्षेत्र में नगण्य जमाव संभावित है। जल प्रदूषण के उच्च मानकों के साथ पर्याप्त उपकरण तथा जल निष्कास के कारण आसपास के क्षति पर दुष्प्रभाव संभावित नहीं है। परन्तु यदि अपारंपरिक परिस्थितियों को दुष्प्रभाव होता है, तो प्रबंधन उसके क्लियर हेतु कृषकों की सहायता करेगा। प्रस्तावित परिवहन के आसपास के क्षति को सुधारने तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने तथा उत्पादों के उचित मूल्य मिलने हेतु प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम चलाने उन्नत क्षति, जैविक क्षति आदि हेतु क्षमताओं की सहायता प्रदान करेगा।

परिवहन की स्थापना के साथ परिवहन में अपनाये जाने वाले पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं सीईआर तथा सीएसआर से आसपास के पर्यावरण पर न केवल जमाव नगण्य होगा। वरन् परिवहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण रोकथाम एवं आसपास रोजगार से स्थिति में सुधार होगा।

- iv. उद्योग का संचालन विधि समतल क्षेत्र से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लिया जाएगा। उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रबंधन हेतु कठोर मानकों का अनुपालन किया जाएगा ताकि जनजीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। पूर्ण क्षमता के स्थापना परचात कुल 8.9 करोड़ रुपये इंजनो पर व्यय प्रस्तावित है, जिससे आसपास के वातावरण पर परिवहन के प्रभाव नगण्य होंगे।
- v. कठोरता जन सुन्वाई प्रस्तावित परिवहन से पर्यावरण स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति के द्वारा ई आई ए नोटिफिकेशन 2008 के अंतर्गत जारी टी.ओ.आर. के अनुसार निर्मित ईआईए हेतु हो रही है। उद्योग जन सुन्वाई हेतु आम संचयन की एनजीसी की आवश्यकता नहीं है। परिवहन स्थापना से पूर्व परिवहन स्थापना हेतु आम संचयन की एनजीसी आवश्यक है।
- vi. सीईआर का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु परिवहन में सीईआर के तहत पर्यावरण के उन्मूलन हेतु

ग्राम-परसदा, ग्राम-पुरमुदा, ग्राम-बिलाडी एवं ग्राम-जोडा में इनके कार्य अंतर्नीयता निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत कुल 140 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

अ. विहित बेरोजगारी को रोकथाम के अन्तर्गत पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्रशिक्षण दी जायेगी।

2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों जोडा, पुरमुदा एवं बिलाडी में वृक्षारोपण किये जाने बाबत सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रस्तुत सहमति पत्र में वृक्षारोपण किये जाने वाले स्थान का खतरा अभाव एवं रकबा का उल्लेख नहीं है, साथ ही ग्राम पंचायत परसदा का भी सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि सभी ग्राम पंचायतों से वृक्षारोपण किये जाने वाले स्थान का खतरा अभाव एवं रकबा का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है एवं प्रस्तावित ग्रामों में (दुधक-पूधक से ग्रामवार) वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रारम्भिक रिपोर्ट (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्काल कार्यवाही को निम्नानुसार निर्णय किया गया था—

1. संबंधित ग्राम पंचायत का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सहयोग विवरण के भीतर वृक्षारोपण हेतु पीसी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (50 प्रतिशत जीवन दर के अन्तर्गत) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित परियोजना के सी-एस्टिमेट / प्रोजेक्ट के परिचयन से पी.सी.यू. में वृद्धि होने से परिलिखित वायु गुणवत्ता (पी.एच. एस.डी., एवं एन.डी.) की मात्रा में होने वाले परिवर्तन हेतु जी.एल.सी. सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामों में (दुधक-पूधक से ग्रामवार) वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (50 प्रतिशत की जीवन दर से) हेतु पीसी, पेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रारम्भिक रिपोर्ट (सी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों से वृक्षारोपण किये जाने वाले स्थान का खतरा अभाव एवं रकबा का उल्लेख करते हुए सहमति पत्र प्राप्त किया जाए।

उपरोक्त विहित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने तक आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.सी., अतीतापड़ा के ज्ञान दिनांक 04/07/2023 के परिशिष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दाना दिनांक 13/09/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(क) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

समिति द्वारा नगरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति आई गई—

1. उद्योग की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत परसदा(सी.) का दिनांक 07/08/2023 का अनारबिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उद्योग परिसर के भीतर कुआरोग्य हेतु पीछी (आंगना, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत जानकारी अनुसार 4,150 नम पीछी के लिए राशि 20,75,000 रुपये आव्य किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उद्योग परिसर के भीतर कुआरोग्य हेतु पीछी, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. नगरी बाहरी/मन्टीकुल हैवी बाहरी की स्मरहित करने के लिए ट्रेडिक अप्रेशन लिमिटेड प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 7,948 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना कार्यांत 413.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 8,361.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (KOC ratio) 0.55 होगी, जो कि कंपनी "सी" (अच्छ) के अंतर्गत आता है। टी-मन्टीकुल/ प्रोडक्ट के परिहण हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good) के भीतर है।
4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क इन ऑर्गनीजेशन" के तहत (आंगना, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, कदम आदि) कुआरोग्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नम पीछी के लिए राशि 5,75,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,09,500 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 2,40,000 रुपये, सड़क मार्ग के विकास के लिए राशि 5,00,000 रुपये तथा अन्य के लिए राशि 2,40,000 रुपये, इस प्रकार प्रयत्न वर्ष में कुल राशि 20,99,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 14,42,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जोला (क्षेत्रफल : एकड़), ग्राम पंचायत भुरमुदा (क्षेत्रफल : एकड़) एवं ग्राम पंचायत बिलाड़ी (क्षेत्रफल : एकड़) की सहमति कार्यांत व्यवस्थापन स्थान (क्षेत्रफल : एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कार्यांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. उद्योग परिसर के भीतर कुआरोग्य हेतु पीछी, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष (50 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (सी.पी.आर.) सहित प्रस्ताव को एस.ई.आई.ए.ए. क्लीयरेंस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय सर्वेक्षणी की सहमति अनुमति की जाती है।
2. मेसर्स नंदन स्मल्टरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पलासा, तहसील-दिव्या, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 505/1, 505/2, 506, 507, 508/1,

508/2, 510/1 एवं 510/3, कुल क्षेत्रफल - 4.123 हेक्टर में प्रस्तावित खेज
आवरण प्लांट (डीआरआई किल्ला 120 टीपीसी x 1 मग) क्षमता - 62,700 टन
प्रतिवर्ष, इन्फ्रालाइन पानीस विद्युत सीरीस (एनएस इंगोएन/मिलेट्स) (10 टन x 3
मग) क्षमता - 99,000 टन प्रतिवर्ष, केंद्रिय पीपर प्लांट (मिस्ट ड्रीट रिक्वरी
बीछार) - 4.5 मेगावाट हेतु परिसिस्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन सरकारी
वर्षावनीय प्रौद्योगिकि विद् जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभव आकलन प्रक्रिकरण (एनईआईएए), प्रलीसगढ़ की
संयनुसार सुचित किया जाए।

वैतक धन्यवाद ज्ञापन से राज्य संगन्त हुई।

(श्री. राजुस सिन्घ)

सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रलीसगढ़

(श्री बी.सी. निगम)

अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

प्रलीसगढ़

सेक्टर रीसाइंड सेक्टर क्वॉटि (प्ले-बीबी अगिला मासुजा)

हो पार्ट ऑफ खसत क्वॉटि 450, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम-रीसाइंड, तहसील-पलारी, जिला-बलीदाभाजल-नाटापारा (उ.प्र.) में पलानी से रेत उत्खनन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के नियन्त्रण की लक्ष्य से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेक्टर माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन्स फॉर सेक्टर माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. ग्राह अध्ययन (मिस्ट्रेचम गटबी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आसानी 1.5 वर्ष में विलुप्त ग्राह अध्ययन (Dewatering Study) करवेंगा, ताकि रेत के पुनर्स्थापन (Replenishment) वाकत सही अंशमें, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज क्षेत्र का नाम, खदान का क्षेत्रफल आकंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाइन के नज़र में सीमेंट के खम्भे पड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान स्थानिक विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वॉटर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माइनिंग प्लान अनुमत वैध उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन गहराई से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार परदेवार द्वारा माइनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित किंड बिन्दुओं पर नदी में रेत की गहराई के सार्व (Levels) का सर्वे कर, उससे आंकड़े तत्काल एन.ई.आई.ए.

ए. फलौसमय को प्रस्तुत किया जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवंबर माह में वेत सखनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी विड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अग्रस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतरी (Levee) का कार्य पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार वेत खनन उपरत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी विड बिन्दुओं पर वेत सतह के लेवलस (Levees) का साफन किया जाएगा। वेत सतह के पूर्व निर्धारित विड बिन्दुओं पर वेत सतह के लेवलस (Levees) के साफन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतिम दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के अंतिम जनवरी 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. फलौसमय को प्रस्तुत किया जायेगा।

11. वेत की खुदाई एवं मरम्मत धमिली द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण मॉयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निरंतर क्षेत्र में नदी सतहों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित वेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉन्ग पाईप तक वेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलर द्वारा किया जाएगा।
12. वेत का सखनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घंषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। वेत सखनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल सतह की ऊपरी सतह से 1 मीटर अधिकतम दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। वेत का सखनन किसी भी परिस्थिति में जल सतह के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की वेत नदी तट (हाई रीक) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. वेत सखनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षय न हो। किसी भी पुलिया, स्टाम्पेन, बंध, एनीकर, जल प्रवाह व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अग्रस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि वेत सखनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विन्हीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि सखनन केवल उली क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास वेत सखनन नहीं किया जाए।
16. वेत सखनन एवं मरम्मत / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधेरा सखनन कार्य करने की स्थिति में परिषोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिषोजना प्रस्तावक द्वारा वेत सखनन विभिन्न इन्धनों तथा लॉन्ग / अनलॉन्ग आदि से संचाल्य होने वाले कम्पैक्टिड अल्ट्रा सखनन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल फिफ्टरस अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। वेत सखनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माता सक्कर, पर्यावरण,

एक और एक वायु परिवहन, संवाहक, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित समझों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेल का परिवहन तात्कालिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इसके दूर बाह्य से किया जाए, ताकि रेल बाह्य से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे बाह्यों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. वाहनन क्षेत्र में खनिज प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता को अक्षर पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नवीकृत के कटाव को देखते हुए लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जाकुन, बड़, पीपल, पीप, सरस, पीपू, आम, इमली, नीला आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 गज पीपों का रोपण नवी कट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त आवक्या (यथा कार्टीदार लान की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट चौड़ाई वाले पीपों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुलरोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पीपों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आदेश का समर्थन प्रस्तुत किया जाए। रोपित पीपों की सुखा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परिवर्तन प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले पीपों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीपों के नाम का पालन करते हुए फोटोग्राफ सहित जानकारी अधिकाधिक रिपोर्ट में साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुलरोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुए नूत पीपों की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. विश्व बैंक कुलरोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) मापी एवं फोटोग्राफ अधिकाधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए उत्तरोत्तर पर्यावरण संरक्षण समझ एवं एस.ई.आई.ए.ए. उत्तरोत्तर को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
27.38	2%	0.54	Following activities at Village- Riwadih	
			Plantation at Village Pond	0.75
			Total	0.75

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही के माह में अधिार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम पंजाब से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अधिकाधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करण अपेक्षा उत्तरदायित्व रहेगा। कुलरोपण अक्षरत होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के बाँधी और कुआरोंका (आम, कटहर, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 80 नम जिलामें से 10 नम कुल पूर्ण के तालाब के बाँधी और अर्धसिद्ध हैं। बाँध 40 नम बाँधी के लिए राशि 4,000 रुपये, बाँधिंग के लिए राशि 6,000 रुपये, खाद के लिए राशि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रक-रकाल आदि के लिए राशि 15,000 रुपये इस प्रकार कुल एवं में कुल राशि 27,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रुपये हेतु परतकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिंचाई के सहयोग उपरोक्त पर्याप्त रूप से (खसत क्रमांक 232, क्षेत्रफल 1.684 हेक्टेयर) के संका में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कुआरोंका कार्य के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (सिंचाई/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्ण पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुआरोंका का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संचालित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/गट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।
29. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं चाहे जाने पर पर्यावरणीय क्षतिकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परिशोधन प्रस्तावक संबंधित क्षेत्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आदि करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमति प्राप्त करेगा। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा जब एव वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर वॉन्ड/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / कार्यसूचीका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तीर्ण गौन समिष्ट नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रकाशनों/सूची एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोयला शक्ति कार्य पर लपारे जाते हैं तो ऐसे शक्ति के आवाज की उचित व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था आवासीय संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिशोधन पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. शक्ति के लिए खनन स्थल पर लच्छा पेशजल विक्रितकारीय सुविधा, पीपल टायलेंड आदि की व्यवस्था परिशोधन प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में बल मूल विकर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के फैलेट, प्लैस्टिक आदि का विकर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. शक्ति का समय-समय पर अनुपूर्वकाल हेतु सर्विलेंस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसंधान वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए. उत्तीर्ण / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अन्ततः किन्हीं व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार बताने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किन्हीं किन्हीं सम्पत्ति को पुनर्गठन पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा सौन्दर्य, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिशोधना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दृष्टि से किन्हीं भी शर्तों में संशोधन/निराकरण करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरक्षण की गारण्टी को और राख्य करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
38. परिशोधना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिशोधना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस अन्ततः की सूचना प्रकाशित करेगा कि परिशोधना को स्वतंत्र पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन माना सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की उच्च वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संख्या में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परिशोधना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण नियंत्रण तथा निबंधन) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तहत बंधने गये नियमों, परिशिष्टों तथा अधिनियम (प्रबंधन व्यवस्थापन एवं सीमांकन संरक्षण) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दूषित क्षेत्र अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परिशोधना के बारे में एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दृष्टि से एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने अथवा निर्वास ले सके। अन्ततः में कोई भी विस्तार अथवा उल्लंघन एम.ई.आई.ए.ए.

वेस्टर्न कुकर सैंड माईनिंग (सी - बी) की बहाली काटो

की पार्टी ऑफ़ खनक डायॉक 2742, कुल क्षेत्रफल -- 5 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, घास-कूकड़, तहसील-आरंग, जिला-बाघपुर (उ.प्र.) में स्थानीय में रेत उत्खनन समता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली बातें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित बातों को अधीन दी जा रही है। अतः इन बातों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा सफ़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पन्न की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैंड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) की ताल 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. नदर अध्ययन (मिलिटेशन स्टडी) रिपोर्ट -- परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ष में विस्तृत नदर अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) बाधक नहीं आये, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (सीज बोर्ड का नाम, खदान का क्षेत्रफल आदि) एवं वेस्टिंग सड़ित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. सीज क्षेत्र की पार्टी कोनी तथा सीमा लाइन के नक्का में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि सीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान स्थिति विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलक्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल एरिया 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। क्षेत्र 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन समता से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रमाण खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. स्थानीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 28/03/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित डिग बिन्दुओं पर नदी में रेत की समता के स्तरों (Levels) का कार्य कर, उसके आसपास तलवाले रसाई-आई.ए.

ए. उत्तरीसंगम के प्रस्तुत किचे जाये। पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में सेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इसी किच किन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (बोनी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतों (Levelling) का सर्वे पूर्व निर्धारित किच किन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार सेत खनन उपरोक्त मानसून के पूर्व (पूर्व माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी किच किन्दुओं पर सेत सतह के लेवलिंग (Levelling) का मापन किया जाएगा। सेत सतह के पूर्व निर्धारित किच किन्दुओं पर सेत सतह के लेवलिंग (Levelling) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ों दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के आंकड़ों अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिर्धारित रूप से एन.ई.आई.ए. उत्तरीसंगम के प्रस्तुत किचे जायेगे।

11. सेत की खुदाई एवं गहराई भण्डारण द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निचल क्षेत्र में भारी बहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निचल सेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में लॉडिंग प्वाइंट तक सेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
12. सेत का उत्खनन संवत्त किन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। सेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल सतह की उपरोक्त सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। सेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल सतह के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की सेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. सेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षय न हो। किसी भी पुशिंग, स्टामपिंग, बॉम, एरीकट, जल प्रवाह बाधक एवं अन्य खराबी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिर्धार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि सेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन संवत्त उन्नी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसमें आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कण्डुओं के प्रजनन इलाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास सेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. सेत उत्खनन एवं गहराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परिचयना प्रस्तावक को तिरुधु निरमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिचयना प्रस्तावक द्वारा सेत उत्खनन विभिन्न इमारती यन्त्र लॉडिंग / अनलॉडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले कण्डुजिटेड डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल किडवॉश अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। सेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माता संरक्षण, पर्यावरण,



वन और जल संपुर्ण परिवहन, संभाल, माई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से दूरी दूर वहन से किया जाए, ताकि रेत वहन से बाध नहीं पड़े। खनिज का परिवहन कर जो बाढ़ों को क्षमता से अधिक नहीं बना जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. परस्परान क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्रकृतिकला के अभाव पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट को कटाव को रोकने हेतु सीज क्षेत्र के अनुसार खजुन, जानुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, लीकू, आम, इमली, नीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पत्र पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुदृष्टित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (ज्या कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुकाव एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का जवाबदायित्व लेने संबंधी आशय का सत्य पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुकाव एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का जवाबदायित्व परिषदीयना प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किसे जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का चालीक कर्ते हेतु फोटोग्राफ सहित जानकारी आवधिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति मिस्त की जा सकेगी।
22. वृक्षारोपण कर रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित कर्ते हेतु मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किसे पत्र वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ आवधिक रिपोर्ट में सम्मति कर्ते हेतु अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., अतीसगढ़ को डेपित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पत्र कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए--

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51.15	2%	1.023	Following activities at Village- Kurud	
			Plantation at Village pond	1.30
			Total	1.30

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपर्युक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थात्कारिक रिपोर्ट में सम्मति कर्तते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सम्पत्ता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। कुशलसेवा अवलोकन होने पर पर्यावरण सौकरुति निम्ता की जावेगी।
26. सी.ई.आर. के अंतर्गत टालाब के कार्य और कुशलसेवा (खान, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 70 नम जिसमें से 20 नम कुल पूर्व से टालाब के कार्य और अवलोकन है। सेब 50 नम वीथी के लिए राशि 5,000 रुपये, सीसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा रक्त-रक्तान आदि के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 40,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रुपये हेतु परतस्वार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुसर (कुटेरा) के सहनति उपर्युक्त पर्यावरण स्थान (खसरा क्रमांक 245, सीकसल 1.07 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें
27. सी.ई.आर. एवं कुशलसेवा कार्य को कोन्ट्रोल एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या असीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलसेवा का कार्य पूर्ण किये जाने के उपर्युक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सम्बन्धित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदान/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आवेके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय सौकरुति को निम्ता करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागी, मण्डली एवं अन्य संस्थानों से रत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / असीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का ध्यान सुनिश्चित किया जाए।
31. असीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के अन्तर्गत/शर्तों एवं उपनुसार जारी दिशा निर्देशों अनुसंधित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का ध्यान सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कंठिग स्विक कार्य पर लगायी जाती है तो ऐसे स्थलों के आवरण की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. स्थलों के लिए ध्यान स्थल पर सख्य पेपरजल विनिलसकीय सुविधा, गैसहल टालोके आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मत्त कुल विसर्जन, अथवा सख्य समुद्री के पीकेट, पॉलिथिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित होगा। नदी एवं नदी जल की सख्यता का ध्यान रखा जावे।

REC 0

34. समितियों का समय—समय का आश्चर्यजनक होना संविधान बनाया जाये।
35. राजधानी की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसूचित राजधानी योजना के अनुसार वर्गिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार प्रदान करने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को पुरखाने पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एन.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्यवाही में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा पालन / निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एन.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह की वेबसाइट parivash.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को दक्षित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।
40. एन.ई.आई.ए.ए. अतीसंग्रह, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर/क्षेत्रीय इच्छुषन निबंधन बोर्ड/अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।
41. परियोजना प्रस्तावक अतीसंग्रह पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। वे शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1987, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशोधन अधिनियम (प्रबंधन तथापन एवं सीमापार संरक्षण) नियम, 2008 (यथा

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR PROPOSED SINGLE SUPERPHOSPHATE (SSP) TRIPLE SUPER PHOSPHATE (TSP) CAPACITY: 1,00,000 TONNES / YEAR, PLOT NO. 212, 213 & 214, AREA 5.286 ACRE OF M/S SHRI TULSI PHOSPHATE LIMITED, BIRKONI INDUSTRIAL AREA, VILLAGE- BIRKONI, TEHSIL & DISTRICT- MAHARAJGARH

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same,

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).
- ii. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1988.
- iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
- iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 180(E) dated 28/12/2017 as amended from time to time, and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL, accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall comply with the environment norms for Pesticide Industry as notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, vide GSR 46 (E), dated 13.6.2011 under the provisions of the Environment (Protection) Rules, 1986
- iii. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 606(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- iv. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL, accredited laboratories.
- v. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions, fluoride emissions norms) within and outside the plant area, covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.





- vi. The project proponent shall provide adequate control systems to achieve norms on total fluoride (gaseous and particulate). In Material handling and Rock phosphate mill shall be carried out in closed buildings. Cyclone separator alongwith bag filter will be provided in the boiler with stack height of minimum 30 meter. Venturi scrubber, Cyclone separator and multi-stage fluoride scrubber will be provided in the SO₂/TSP scrubbing unit to efficiently scrub the vent gases from the plant with stack height of minimum 40 meter. All the transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Project proponent shall provide necessary arrangements for all oxides of sulphur emissions. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Ventilation shall be provided if any hydrocarbon or toxic vapours will be accumulate. Project proponent shall provide leakage detection system with alarm facility to rectify any toxic gases leakage without any delay. Project proponent shall also provide PPE's to the workers. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	50 mg/Nm ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	--

The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- vii. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAACQS. The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
- viii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- ix. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- x. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- xi. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- xii. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system). Treated water shall wholly be reused in the process. Sewage Treatment Plant shall be provided for treatment of domestic effluent. After treatment from STP, water shall be used for plantation purposes. Silica liquor or

settled silica will be used as a filler in the product to attain required quantity and H_2SiF_6 will be reused for acid dilution. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

- i. Project Proponent shall use non-corrosive storage tank to prevent spillage of methanol and formaldehyde. The Project Proponent shall ensure that no spillage of raw material, chemicals, products etc. under any circumstances. If any failure during operation shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made.
- ii. The storage of toxic/hazardous raw material shall be bare minimum with respect to quantity and inventory. Quantity and days of storage shall be submitted to the Regional Office of Ministry and SPCB along with the compliance report.
- iii. The solvent management shall be carried out as follows: (a) Reactor shall be connected to chilled brine condenser system. (b) Reactor and solvent handling pump shall have mechanical seals to prevent leakages. (c) Solvents shall be stored in a separate space specified with all safety measures. (d) Proper earthing shall be provided in all the electrical equipment wherever solvent handling is done. (e) Entire plant shall be flame proof. The solvent storage tanks shall be provided with breather valve to prevent losses. (f) All the solvent storage tanks shall be connected with vent condensers with chilled brine circulation.
- iv. Project Proponent shall ensure only authorized persons shall operate material handling chemicals, equipments etc.
- v. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- vi. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vii. Gutter drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- viii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- ix. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- x. The project proponent shall used the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. Used oil if any shall be given to authorized recyclers / agencies.
- ii. Hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- iii. Hazardous chemicals shall be stored in non-corrosive tanks. Coal Ash from Boiler shall be sent to Brick Manufacturer unit.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 50.16% (1.073 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCBB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
- ii. The project proponent shall prepare GHG's emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The Project Proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen working in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

- iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2.050	1%	20.5	Following activities at Village- Birkorli	
			Pavitra Van Nirman	27.275
			Total	27.275

- ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned gram Panchayat.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

- i. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- ii. Project Proponent shall provide personal protective equipments like gloves, aprons, respirator, face shield etc.
- iii. Project proponent shall form a bipartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CEOS and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

- iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.
- v. No additional land shall be acquired for this project.
- vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.
- vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10} , SO_2 , NO_2 (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

- xvii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xviii. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xix. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xx. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 19 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xxi. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC

नेहरू दोनर सैन्ड माईनिंग (डो - बी टेक्नालॉजी प्राइवेट)

को समस्त जमांक 2774, कुल क्षेत्रफल - 4.88 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, घास-बोहर, पहाड़ीय व जिला-धरती (ज.प.) में नहरादी से रेत उत्खनन समस्त 44,550 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली बातें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित बातों को अधीन ही जा रही है। अतः इन बातों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के नियामन की लक्ष्य से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सैन्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाइन्स, 2018 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2018) एवं इंफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इंफोर्समेंट एन्ड मॉनिटरिंग गाईडलाइन्स फॉर सैन्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गार अख्ययन (मिसलेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार अख्ययन (Disturbance Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंध सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघर्ष, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर घुसना फटल (लीज घातक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अवधि एवं देहात सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर तथा सीमा लाईन के साथ में सीमेंट के खम्भे लगाए जावश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान सखिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कालाटर में है, अथवा 500 मीटर को भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल समस्त 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार रेत उत्खनन क्षेत्र 4.88 हेक्टेयर से कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,550 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण निरीक्षण नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित विड किन्डुओं पर नदी में रेत की गहराई के सतों (Levels) का सर्वे कर, उससे आंकड़े तत्काल एच.ई.आई.ए.

ए. कालीसराय को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट-मनसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने की पूर्ति) इसी रिक्त बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन प्रस्ताव मानसून के पूर्व (माई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इसी रिक्त बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित रिक्त बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 5 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंकड़े दिनांक 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री-मानसून के अंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एम.ई.आई.ए.ए. कालीसराय को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भरवाई क्रियाएँ द्वारा (Manually) की जाएँगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रेत बेड में खरी खादों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
12. रेत का उत्खनन केवल किन्हीं, सीमितकृत एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनो में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नहीं तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
13. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टाम्पेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्तर पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिलमें तथा जिलके अंत-प्रांत के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्मित न हो। कचुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के अंत-प्रांत रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
16. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अंधे उत्खनन वाले जाने की स्थिति में परिवर्धना प्रस्तावक के विवेक नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
17. परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रजातों का लॉडिंग / अलॉडिंग आदि से सम्बन्ध होने वाले आयुधित्व इन्स्ट्रुमेंट्स के निबंधन हेतु उपयुक्त कार्य प्रदर्शन निबंधन व्यवस्थाएं जैसे जल डिहलर अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता माता सफाई, पर्यावरण,

कम और जल का पॉलिमर, संवर्धन, नई दिल्ली द्वारा अभिलेखित मानकों से अधिक नहीं होने चाहिए।

18. रेत का परिवहन कार्बोनिज अवस्था अन्य उपयुक्त माध्यम से इसे हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कम रेत वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. उल्लेखित क्षेत्र में खनिज प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इलायची, नीमस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 लग बीघों का रोपण गरी सट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त जलसंधि (जथा कार्टेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले बीघों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त कुशा रोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित बीघों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का पर्यावरणिक लेने संबंधी अंतरिम का समय पर प्रस्तुत किया जाए। रोपित बीघों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का पर्यावरणिक परिशोधन प्रस्तावक का रहेगा।
21. रोपित किये जाने वाले बीघों में संख्यांकन (Numbering) एवं बीघों के नाम का चर्चालेख करते हुए फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में साथ प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण नवीकृति निरस्त की जा सकेगी।
22. कुशा रोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुए मृत बीघों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
23. किये गये कुशा रोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समहित करते हुए पर्यावरणिक पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय एवं एस.ई.आई.ए.ए., पर्यावरणिक को प्रेषित किया जाए।
24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नांकित प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52.10	2%	1.04	Following activities at Nearby, Village- Damer	
			Plantation in Village pond	1.205
			Total	1.205

25. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम संशोधन से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समहित करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक पर्यावरणिक होगा। कुशा रोपण अक्षरगत होने पर पर्यावरण नवीकृति निरस्त की जायेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत ताजाब पार (जामुन, पीपल, नीम, आम, कदम आदि) कृतायोग्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 वन नौकों के लिए राशि 8,500 रुपये, फीसिंग के लिए राशि 80,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा सब-सहाय आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में कुल राशि 79,500 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में खाद, सिंचाई एवं सब-सहाय हेतु कुल राशि 43,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दान बंधावत के सहमति पत्रांत कृतायोग्य स्थान (खाराह अर्थात् 1902, बीजफल 0.55 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
27. सी.ई.आर. एवं कृतायोग्य कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामीण/एडर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कृतायोग्य का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर जाये, तब उन्हें खदान/खोदो/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आमके द्वारा कटाने गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना अपर्याय विवशकारी होगी।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पड़े जाने पर पर्यावरणीय लीक्यूरी को निस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित बौन्द / राज्य सरकार के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से वेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतिपत्र प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर बौन्द / राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तरीसमगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
31. उत्तरीसमगढ़ नीम खनिज विनियम, 2015, राज्य शासन द्वारा वेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/तर्कों एवं अनुसंधान जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोम्प्लेक्स भूमिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवश्यक व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विभिन्नपक्षीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में बल मुर विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जाये।
34. भूमिकों का समय-समय पर आमपूर्वजनल हेल्थ सर्विलेस कराया जाये।
35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ए.सी.ई.आर.ए.ए. उत्तरीसमगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आदेश किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति का अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को अधिकतम अथवा अन्ध, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
37. एसाईआईएए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की समीक्षा से परिचर्चा अथवा विनिर्दिष्ट तर्कों के संतोषघट रूप से पालन न करने की वजह से किसी भी तर्क में संतोषण/निरस्त करने अथवा नई तर्क जोड़ने अथवा वापस लेने / निरस्ताने के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आदेश की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को स्वतंत्र पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की प्रतीति अन्ततः तर्कों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एसाईआईएए, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parishad.nic.in पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई तर्कों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एसाई, आईएए, छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को उप्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्ताव तर्कों के पालन की परीक्षण की जाएगी।
40. एसाईआईएए, छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को तर्कों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली परीक्षण हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट तर्कों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई तर्कों का अधिकांश रूप से पालन करेगा। ये तर्क पत्र (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1984 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1986, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये विधायी, परिसंकेतन अधिसूचित (प्रयोग तथा उपकरण एवं सीमांकन संरक्षण) विधाय, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दूषित क्षेत्र अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एसाईआईएए, छत्तीसगढ़ में प्राप्त विवरण में कोई भी विघटन अथवा परिवर्तन होने की वजह से एसाईआईएए, छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जनसूची सहित सूचित किया जाए, ताकि एसाईआईएए, छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर तर्कों की अनुपालता अथवा नवीन तर्क निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। तद्वत में कोई भी विस्तार अथवा अन्वयन एसाईआईएए,

 

उत्तीर्ण / भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. उत्तीर्ण पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं राष्ट्रीय केन्द्र एवं कलेक्टर/राज्यपाल कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करने।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को समझ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्राधान्य अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सचिव, एन.ई.ए.सी.


सचिव, एन.ई.ए.सी.

मेसर्स नवदोटी खपरी लाईन प्राइवेट लिमिटेड (जी- सी तालाबंद आहूदा)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 280/18, कुल क्षेत्र क्षेत्र 0.404 हेक्टेयर, ग्राम-नवदोटी खपरी,
तहसील-दीन्दा, जिला-रायपुर में कुल पत्थर (सीम खनिज) उत्खनन - 2,187 टन
प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों से अधीन दी जा रही है। उक्त इन शर्तों को
बहुत ध्यान से पढ़ा जाये तथा कम्पाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (सीम क्षेत्र) 0.404 हेक्टेयर अथवा
छत्तीसगढ़ सरकार, खनिज शासन विभाग द्वारा कुल पत्थर वास्तविक उत्खनन का
अधिकतम उत्खनन 2,187 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। सीम क्षेत्र की सीमाओं
का सीमांकन करके पक्के मुबारे लगाया जाए।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति बरिष्म में एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञान्य क्रमांक 1813,
दिनांक 13/08/2023 के परिषद में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मर्गेदर्शन प्राप्त होने पर इसी अनुसार प्रभावित होगी।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी कलक्टर में है, तो पर्यावरणीय
स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो),
के उपचार को सुचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन,
मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के
अन्तर्गत होगी।
6. माननीय एन.डी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार चट्टेदार द्वारा
माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कताये जाने हेतु
परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी
नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्स्रावित नहीं किया जाए,
अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कुआरपेलन हेतु पुन:उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल
के उपचार के लिए सेंट्रिक टैंक एवं सोलरीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को
किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्स्रावित नहीं किया
जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की
जाए। जनवाहित दूषित जल को पुनःस्थापना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु
परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण
संरक्षण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक (जी सी कटोर ही) के अनुसार सुनिश्चित किया
जाए।
8. खनि चट्टा खनन खान संभालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining
operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि खननी खान गतिविधियों के
कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, खननी से-वासींग
(re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुन:स्थापना इस विधि तक किया जाएगा,
जिससे यह बाध, वनस्पतियों, जीवों आदि के उपरोक्त हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माइ के नीचे प्रस्तुत किया जाए।

9. न्यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय न्यू-जल बोर्ड से उत्तमन आदेश करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
10. किसी सिविली / वॉट / पाईट बोर्ड से पार्टिकुलर मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिमीघास / साधारण घनमीटर के कम सुनिश्चित किया जाए। ऊपर, खोज, ट्रांसपज वाइड्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इस्ट एक्स्ट्राक्शन सिस्टम को सख उष्ण प्रवाह का बेस किल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्सर्जन गतिविधियों के विभिन्न स्तरों से उत्पन्न क्युजिटिव इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं निर्धारित रूप से किया जाए। पट्टीय मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन विन्दुओं इस्ट कंटेनमेंट कम संवहन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इतना सख संवहन / संवहन सुनिश्चित किया जाए। विषय ड्रेजिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
11. बाहरी, खनन एवं अन्य क्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1987 के तहत विनियमित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्सर्जन क्षेत्र में परिवर्तित वायु की गुणवत्ता सख संवहन के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन संवहन, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
12. लीज क्षेत्र के बाहरी तलक छोड़ी नई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई बेस का बेस / मण्डलन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
13. उत्सर्जन क्रिया के दौरान हटाई नई कपरी मिट्टी (लीज सीईस) का उपयोग उत्सर्जन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरसर्जन को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। कपरी मिट्टी (लीज सीईस) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से मण्डलित करने की अनुमति नहीं होगी।
14. ओवरसर्जन एवं अनुसंधानी / किसी अयोग्य खनिज (मिस्ट रीक) को पृथक से पूर्व से किन्हीं स्थल पर मण्डलित किया जाएगा। इस प्रकार के मण्डलन स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि मण्डलित पदार्थ अस-वास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की लंबाई 3 मीटर तथा स्लोप 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरसर्जन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
15. जहाँ तक संभव हो ओवरसर्जन एवं अन्य अनुसंधानी / किसी अयोग्य खनिज (मिस्ट रीक) को खनन के परचल बने पट्टी में पुनर्भरण (रिक रिजिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वकित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
16. परिवोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन क्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सखी जल स्तरों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन वॉट तथा डम्प क्षेत्र में डिजैनिंग वॉल / सनलेम्ब ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
17. खनिज का परिवहन मेकनेकली क्लॉर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर यह वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं सख जाना सुनिश्चित किया जाए।

16

0

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव वर कार्य परियोजना प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at nearby, Village-Jalaho	
			Pavitra Niman Van	12.42
			Total	12.42

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्रवाही 28 लाख में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित काम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आर्वाधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना अत्यन्त प्राथम्यवर्धित होगा। कुशलरोग्य अनाकल होने पर पर्यावरण सौक्ष्ण्यी निगरानी की जायेगी।
20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिवेक वन निर्माण" के तहत (अंगूर, बड़, पीपल, नीम, आम, कंठ, जलुन, अमलतास, कदम आदि) कुशलरोग्य हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 575 नग पीची के लिए राशि 43,700 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 44,800 रुपये, काठ के लिए राशि 4,320 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये तथा राख-पखाव आदि के लिए राशि 1,48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,68,820 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,83,432 रुपये हेतु घटाकर वार वर निरक्षण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्त पंचायत जलमंडी के सहमति उपरोक्त कुशलरोग्य लघुन (खसरा क्रमांक 585, क्षेत्रफल 0.231 हेक्टर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।
21. सी.ई.आर. एवं कुशलरोग्य कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रैपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन वा जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरोग्य का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सहायित करवाया जाए।
22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खेत पर आवे, तब उन्हें खदान/खडोम/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपके द्वारा कनवे गटे कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आवसी जिम्मेदारी होगी।
23. जलधनन हेतु निर्मित क्षेत्र (खारी लक 7.5 बीटन चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, ओवरड्रैन अन्य आदि में स्थायीय प्रकृति के 288 वृक्षों का लघुन कुशलरोग्य पूर्ण किया जाए। हरेत पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण निरोधन बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
24. प्रकृतिरक्षा के अन्तर्गत खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में खोज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कंठ, सीसु, आम, इमली, अर्जुन, खैरल आदि अन्य स्थायीय प्रकृतिरक्षा के 100 नग पीची का रोपण (कुल 388 नग पीची) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण की सुदृशित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (प्या

कांटेनर टार के बाड़ू अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की वजह से संबंधित छान पंचायत द्वारा विनियत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुआरोपन किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पीछे का ही रोपन किया जाए। उपरोक्त कुआरोपन प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कुआरोपन नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

25. रोपित किये जाने वाले पीछों में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख करते हुए फोटोग्राफा सहित जानकारी प्रदान प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
26. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर स्थान कुआरोपन किये जाने एवं रोपित पीछों का सार्वभौमिक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कुआरोपन का रख-रखाव अवधि 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये कुआरोपन की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफा अंतरालिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रतीकात्मक सर्वेक्षण संकेत नम्बर एवं एम.ई.आई.ए.ए., प्रतीकात्मक को प्रेषित किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. परियोजना से दिन-दिन स्वच्छी से पर्युजिटिव कस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्वच्छी पर नियमित जल सिंचकाय की व्यवस्था किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बायम्प्ली निरस्तों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तासाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि इन्ट्रुजन के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार किया जाए। ध्वनि का स्तर वातावरण क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीज ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ध्वनिकों को इलायम/मक आदि इदान किए जाए एवं समय-समय पर विकिरणशील जीव एवं अवास्तविकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्लस्टर पर वेब सीमा (एक माह का स्टोरेज कैपैसिटी सहित) लगाया जाए।
34. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (स्लाई रीकल्) को उठाने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं स्थान व्यवस्था किया जाए। वेद डिजिटिंग अथवा वायु प्रदूजन नियंत्रण व्यवस्था अभावित डिजिटिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
35. उत्सर्जन प्रक्रिया सू-जल स्तर के उत्तर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं वातावरण प्रक्रिया सू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्सर्जन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि राष्ट्रीय स्थित वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों का समुचित संरक्षण अवकाय वांछित होगा।

37. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा तीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ तीन खनिज नियम, 2016 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। आईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
38. कार्य स्थल पर यदि खनिज खनिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे खनिकों के आवास एवं सुखा हेतु उचित व्यवस्था परिचोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परिचोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. खनिकों को दिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्वासीय बुनिया, नौबइल टाफ्लेट आदि की व्यवस्था परिचोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. खनिकों का समय-समय पर आसपड़ोसगत हेल्थ सर्किलों का संचालन आवश्यक है।
41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित खनिजित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आवास किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य संस्थित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकतम अथवा खेद, राज एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि में, परिचोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप में चलाने व करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खनन / निष्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परिचोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परिचोजना क्षेत्र से आस-पास अव्यक्त रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आवास की सूचना प्रसारित करेगा कि परिचोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ मंत्रालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एन. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट pannibhaskar.nct.in पर भी किया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की आई वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदात शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परिचोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए रिपोर्टों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
47. एन.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के विधानसभा/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पावे जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अतिरिक्त रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (अदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1974 वायु (अदूषण निवारण तथा निबंधन) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशुद्धकरण और अन्य अधिनियम (प्रदूषण एवं सीमाधार संयंत्र) नियम, 2018 तथा लोक दफ्तिय बीम अधिनियम, 1991 (ज्या संबंधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की वक्ता में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा रणनीति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संयंत्र, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-स्तर एवं परियोजना केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील पेशनाम तीन ट्रीब्यूनल के समक्ष पेशनाम तीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

सेक्टर सिन्चिंग लाईन वॉटर क्वॉटी (सी- वी अंकार सिंड)

की कतार क्रमांक 1043/1, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 1044/2 एवं 1044/4, कुल लीज क्षेत्र 2,142 हेक्टर पर, ग्राम-सिन्धगांव, तहसील-बकालम, जिला-बस्तर में चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन - 82,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाने तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2,142 हेक्टर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा चूना पत्थर उत्खनन पत्थर का अधिकतम उत्खनन 82,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के गुंभारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्वॉटर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षा मानत संरक्षण से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संरक्षण द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (क्या संशोधित) के प्रावधानों के तहत खोनी।
5. मानवीय एन.सी.टी. के आदेश दिनांक 28/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माइनिंग स्थान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन सुनिश्चित करावे जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विरोध निपुणता करना है।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रावित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा पुनर्चालन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोलरवैट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्रावित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आगमन में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता माना संस्कार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संघालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खान क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खान गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-वाइंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घात, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पन्न हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान प्राधिकारी से अनुमोदित माइनिंग बन्दोबस्त स्थान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. यू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु कंपनीय यू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विनरी / वीट / पाईप लाईन से परतिकुलेट मीटर उत्खनन की गहराई 50 मिमी/सम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। जल, खनि, ट्रांसफर पाइपलाइन (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का डेप फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों को विभिन्न स्तरों से उत्पन्न एडुजिटिव डस्ट उत्खनन का नियंत्रण इभासी एवं नियमित रूप से किया जाए। पर्येच मार्ग, रैम्प, संवहन क्षेत्र, पाईप एवं अन्य डस्ट उत्खनन बिन्दुओं डस्ट कॉटेन्मेंट कम संवेतन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संवहन / संभाल सुनिश्चित किया जाए। विन्ड डेविंग वील का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. पहनी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1987 के तहत विनियमित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिकेतीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोटी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कुलरोपण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धान हेतु कच्चा बहरी ओवरलैंडिंग को थियर (स्टैकसाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सोईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरलैंडिंग एवं अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (विन्ड वीक) को पृथक से पूर्व से विनियमित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ अला-वाक की भूमि पर विरहित इभाष न हो सके। इम्प की लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 28 मिमी से अधिक न हो। ओवरलैंडिंग इम्प का हलन रोकने हेतु वैकल्पिक तरीके से कुलरोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरलैंडिंग एवं अन्य अनुपयोगी/बिड़ी अवशेष खनिज (विन्ड वीक) को खनन के समाप्त होने पद्यों में पुनर्भरण (रिक विजिन) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न विन्ड लीज क्षेत्र के अला-वाक के सतही जल स्तरों में प्रभावित न हो। इसे रोकने हेतु माईन वीट तथा डम्प क्षेत्र में विनियम वील / पाथोलेक ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
16. खनिज का परिवहन मैकनेबलरी कन्वर्टेड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भर जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी ई आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंगीकृत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44	2%	0.88	Following activities at	
			Pavitra niman	14.73
			Total	14.73

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आधिकारिक रिपोर्ट में समाहित कर्ना होने प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य को सफलता सुनिश्चित करना अपना उत्तरदायित्व होगा। कुशलरूप से समाप्त होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (अच्छा, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कुशलरूप से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,800 नग पीपल के लिए राशि 1,38,800 रुपये, कमिन्ग के लिए राशि 1,33,000 रुपये, खान के लिए राशि 13,800 रुपये, सिंचाई तथा सब-सहज के लिए राशि 2,68,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,49,300 रुपये एवं अगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,24,120 रुपये हेतु घटकवार व्यव का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत सिन्धगांव 2 के सहमति उपरोक्त कर्मयोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1008, क्षेत्रफल 5 एकड़) को संस्था में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं कुशलरूप से कार्य के निमित्तीय एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या प्रकृतिरक्षण पर्यावरण संरक्षण समिति के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं कुशलरूप से कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/खदान/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत अपने द्वारा कराये गये कार्य का निरीक्षण से अनिवार्य रूप से करना अपनी जिम्मेदारी होगी।
22. परस्मन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (जहाँ तक 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), डील रोड, औसतवर्ग क्षेत्र आदि में स्थानीय प्रजाती के 885 वृक्षों का गणन कुशलरूप से पूर्ण किया जाए। हलित चट्टी का विकास क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रयोग द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, कर्ज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 850 नग पीपल का रोपण (कुल 805 नग पीपल) खदान के कुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्ययस्था (जहाँ कर्मचारी घर के बाह्य अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल चयनबा नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कुशलरूप से किया जाए। 5 मीटर से 8 मीटर ऊंचाई वाले पीपल का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त

 

कृषारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। कृषारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किंसे जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख कर्ता हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
25. गार्डनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर रहने कृषारोपण किंसे जाने एवं रोपित पौधों का सतहईवाल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कृषारोपण का नख-नखाव अनाभी 5 वर्ष तक सुनिश्चित कर्ता हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
26. किंसे नये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्थात्क निवेदों में सम्मिलित कर्ता हुये अतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण सफ्टल एवं एस.ई.आई.ए.ए. फ्लैगलड को प्रेषित किया जाए।
27. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य कर्ना नहीं कर्ने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त कर्ने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परिषेोजना से जिन-जिन स्थलों से पर्यावरणिक हानि उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा निगराना कर्नाशन नियम (Minerals Conservation Rule) के तहत कारभूती किल्लरों द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पीछार, खार, नदी, नाला एवं अन्य जल निकासों को संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
31. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक कर्नाय किया जाए। ध्वनि का स्तर कर्नायन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। रात्रि ध्वनि कर्ने क्षेत्रों में काम कर्ने कर्ने ध्वनियों को इतक/मक आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विविधसर्तीय जीव एवं आवरणक अनुसार कर्नाय कर्नाय भी कर्नाय जाए।
32. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित कर्नाय पर वेद कर्नाय (एक मड का स्टीरिल कर्नायिटी सहित) कर्नाय जाए।
33. पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग रॉक) को कर्नाय से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। वेद कर्नाय कर्नाय कर्नाय प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर्नाय किया जाए, जिससे कर्नाय कर्नाय नियंत्रण में रहे।
34. कर्नायन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असंभूत कर्नाय में की जाएगी एवं कर्नायन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किंसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. कर्नायन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि कर्नाय कर्नाय कर्नाय एवं जीव-जन्तुओं पर दुष्भाव न हो। क्षेत्र में कर्ने जाने वाले प्राकृतिक जीव-जन्तुओं, कर्नायियों का समुचित संरक्षण आवश्यक कर्नाय होगा।
36. परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा गीन कर्नाय का कर्नायन फ्लैगलड गीन कर्नाय नियम, 2016 के कर्नायनी, अनुसंधित कर्नायन योजना एवं पर्यावरणीय कर्नायन योजना के अनुसार किया जाए। कर्नाय एक्ट 1982 के कर्नायनी का पालन किया जाए।
37. कर्नाय स्थल पर यदि कर्नायन कर्नाय कर्नाय पर कर्नाय जाते हैं तो ऐसे कर्नायों के कर्नाय एवं कर्नाय हेतु कर्नाय व्यवस्था परिषेोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी।

जावासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं को रूप में ही संकली है, जिसे परिवर्तन पूर्ण होने के पश्चात् इटाना जा सके।

38. भविष्य के लिए जनन स्थल पर लक्ष्य प्रयोजन विविधतायुक्त सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. भविष्यीय उम्र समूह-समय पर आकस्मिकतायुक्त हेल्थ सर्वेक्षण करना आवश्यक है।
40. उल्लेखित की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुसंधित उल्लेखित योजना के अनुसूचित वर्गिक योजना, जिसमें उल्लेखित, स्थिति की मात्रा एवं अतिरिक्त स्थितिगत है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का अंतरिम किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा लेन्ड, वायु एवं स्थानीय कानूनी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परिवर्तन की संपत्ति में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उल्लेखित / निरस्त के मासों की और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
43. परिवर्तन प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय सभाधारण वनों में, जो कि परिवर्तन क्षेत्र के आस-पास आवश्यक रूप से प्रस्तावित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस अंतरिम की सुचना प्रसारित करेगा कि परिवर्तन की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की प्रतिलिपि संबंधित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय में अद्यतन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अद्यतन एम. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivash.nctg.gov.in पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में ही नई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्ह वर्गिक विधेय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, जयदलपुर, एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तावित शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी। इस हेतु परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एम.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय के वैधानिकी / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकेत में ही जाने वाली निगरानी हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती।



47. परिवोजना प्रस्तावक उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अधिबर्धन रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (उद्घरण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (उद्घरण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिशिष्टकरण और अन्य अधिनियम (प्रवेश एवं सीमापार संरक्षण) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
48. प्रस्तावित परिवोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवरण अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। प्रदान में कोई भी विवरण अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. उत्तीसगढ़ / पर्यावरण, मन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय सौख्यति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-खापन एवं उद्योग क्षेत्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय सौख्यति के विरुद्ध अपील केवल हीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल हीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.ओ.


सदस्य, एस.ई.ए.ओ.

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR PROPOSED DRUM KILN
(SPONGE IRON) OF CAPACITY (1X180 TPD) - 82,700 TONNES / YEAR,
INDUCTION FURNACE WITH CCM (MS INGOTS/BILLETS) (3X16T) OF
CAPACITY- 99,000 TPA, CPP (WHRR BASED)- 4.5 MW OF
M/S NANDAN SMELTERS PRIVATE LIMITED**

**This environmental clearance is being issued under following conditions
therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance
of the same.**

I. Statutory Compliance:

- i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Orhathagadh Environment Conservation Board (OECB).
- ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of draw of ground water / from the competent authority concerned in case of draw of surface water required for the project.
- iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through lab recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM₁₀ and PM_{2.5} in reference to PM emission, and SO₂ and NO_x in reference to SO₂ and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.
- iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. ESP with dust extraction system of adequate capacity and high efficiency shall be install in sponge iron (1X180TPD) units. Height of the chimney for both stack shall not be less than 27 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. Movable suction hood alongwith bagfilter shall be provided in SMS. Height of the chimney for both stack shall not be less than 33 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall install lime dosing unit before the stack inlet to control the sulphur dioxide emission. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in vibrating screen, feeding point, coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered through GI sheets. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are

recycled) to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter	30 mg/m ³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)
--------------------	---

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

- v. Project proponent shall install continuous emission monitoring system in the stack and connected with the CPCB/SPCB server.
- vi. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.
- vii. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.
- viii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.
- ix. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.
- x. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.
- xi. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTV) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.
- xii. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron, Ferro Alloys etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

- i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system). The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. MBBR based sewage treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.
- ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Adal Nagar, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

- iv. Overflow drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.
- v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.
- vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.
- vii. The project proponent shall use the maximum surface water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

- i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Adal Nagar, Raipur as a part of six-monthly compliance report.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

- i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
- ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

- i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Ash generated from DFI unit shall be given to brick manufacturer. Char/Coke/char generated from DFI unit shall be given to cement plant/power generation unit. Kilo Accretion & Refractory Waste shall be given to refractory recycling units / Used in brick making and low lying areas. Defective tiles will be recycled and used in own plant. Slag from induction furnace shall be used in metal recovery units over/outsides. Grinded slag will be used in brick manufacturing unit. Tar and Oil sludge shall be given to coal tar recyclers / agencies engaged in construction activities/given to nearby Pelter plant units.
- ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
- iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
- iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
- v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
- vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from STP and shall use the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

- i. Green belt shall be developed in an area not less than 40-50% (1.50 hectare) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

8. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health issues

- i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue/ the raised during Public hearing.
- ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workman who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fan for cooling, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-850317-IA.3 dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall make CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7000	2%	140	Following activities at nearby, Village-Bhursuda, Parsada, Belari & Jota	
			Eco Park Cum Oxygen	140
			Total	140

Development of "Pavitra-van Nirman" at gram panchayat in Village- Bhursuda, Parsada, Belari & Jota as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around Rs. 140 Lakhs.

- ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools and concerned gram Panchayat.
- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / BSAA, Chhattoigarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

- v. Action plan for implementing EEMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Raipur Atal Nagar, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Additional Conditions

- i. Project proponent shall also follow the guidelines of SOP issued by CPCB in this matter and shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.
- ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.
- iii. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board falling which this EC shall deemed to be cancelled.
- iv. No additional land shall be acquired for this project.
- v. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.
- vi. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- vii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- viii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- ix. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely, PM_{10} , SO_2 , NO_2 , (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- x. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- xi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-iv to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CIECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- xii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CIECB) and the State Government.
- xiii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- xiv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

- vi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- vii. SEAAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- viii. SEAAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- ix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- x. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xi. Any appeal against this EC shall be with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 18 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).


Member Secretary, SEAC


Chairman, SEAC